द्वितीय वर्ष कला

सत्र - III (CBCS)

हिन्दी अभ्यासपत्रिका क्र. III

विषय कोड : UAHIN302

© UNIVERSITY OF MUMBAI

प्राध्यापक सुहास पेडणेकर
कुलगुरू,
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

प्राध्यापक रविंद्र द. कुलकर्णी
प्र-कुलगुरु,
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

प्राध्यापक प्रकाश महानवार
संचालक,
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

कार्यक्रम समन्वयक : **प्रा. अनिल आर. बनकर**
सहयोगी प्राध्यापक इतिहास एवं कला शाखा प्रमुख,
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

अभ्यास समन्वयक : **डॉ. संध्या शिवराम गर्जे**
सहायक प्राध्यापक,
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

संपादक : **प्रा. अनिल गोविन्द चौधरी**
सहायक प्राध्यापक,
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

लेखक : **डॉ. संध्या शिवराम गर्जे**
सहायक प्राध्यापक,
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

: **डॉ. बालाजी गायकवाड**
एसोसिएट प्रोफेसर,
सिद्धार्थ कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,
फोर्ट, मुंबई

जुलै २०२१, मुद्रण - १

प्रकाशक : संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ,
विद्यानगरी, मुंबई -४०० ०९८.

अक्षर जुळणी : अश्विनी आर्टस्,
विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९९.

मुद्रण :

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ क्रमांक
१.	प्रयोजनमूलक हिन्दी अर्थ, परिभाषा, स्वरूप	०१
२.	सामान्य हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, प्रयोजनमूलक हिन्दी स्वरूप एवं विशेषताएँ	०७
३.	अनुवाद	१७
४.	अनुवाद के भेद	२९
५.	विज्ञापन - अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, विशेषताएँ, विज्ञापन की भाषा	३६
६.	पारिभाषिक शब्दावली	४४

❖❖❖❖

द्वितीय वर्ष कला,

सत्र -III, हिन्दी अभ्यासपत्रिका - III

प्रयोजन मूलक हिंदी

१) प्रयोजन मूलक हिंदी :

क) अर्थ

ख) परिभाषा

ग) स्वरूप

२) सामान्य हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, प्रयोजनमूलक हिन्दी स्वरूप एवं विशेषताएँ

३) अनुवाद

च) अर्थ

छ) स्वरूप

ज) परिभाषा

झ) महत्त्व

४) अनुवाद के भेद :

ट) शब्दानुवाद

थ) भावानुवाद

ड) सारानुवाद

५) विज्ञापन

त) अर्थ

थ) स्वरूप

द) परिभाषा

ध) विशेषताएँ

न) विज्ञापन की भाषा

६) पारिभाषिक शब्दावली का सामान्य परिचय और ५० पारिभाषिक शब्दावली की सूची संलग्न

पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पारिभाषिक शब्दवली

1.	Ability	:	योग्यता
2.	Ballot	:	मतपत्र
3.	Basic	:	बुनियादी
4.	Claim	:	दावा
5.	Circular	:	परिपत्र
6.	Consent	:	सहमति
7.	Deduction	:	कटौती
8.	Defacto	:	वस्तुतः
9.	Deliberation	:	विचार-विमर्श
10.	Dispatch	:	प्रेषण
11.	Enclosure	:	अनुलग्नक
12.	Estimate	:	अनुमान
13.	Experiment	:	प्रयोग
14.	Founder	:	संस्थापक
15.	Graduate	:	स्नातक
16.	Grant	:	अनुदान
17.	Honorarium	:	मानदेय
18.	Identity Card	:	परिचय पत्र
19.	Initials	:	आद्यक्षर
20.	Junior	:	कनिष्ठ
21.	Laboratory	:	प्रयोगशाला
22.	Leave	:	छुट्टी
23.	Margin	:	हाशिया
24.	Maximum	:	अधिकतम
25.	Memorandum	:	ज्ञापन
26.	Modus Operandi	:	कार्य-प्रणाली
27.	Notice	:	सूचना

28.	Notification	:	अधिसूचना
29.	Oath	:	शपथ
30.	Parliament	:	संसद
31.	Priority	:	प्राथमिकता
32.	Project	:	परियोजना
33.	Proceedings	:	कार्यवाही
34.	Questionnaire	:	प्रश्नावली
35.	Rate	:	दर
36.	Reaction	:	प्रतिक्रिया
37.	Record	:	अभिलेख
38.	Style	:	शैली
39.	Tax	:	कर
40.	Temporary	:	अस्थायी
41.	Tenure	:	अवधि
42.	Urgent	:	अत्यावश्यक
43.	Utilization	:	उपभोग
44.	Valuation	:	मूल्यांकन
45.	Verification	:	सत्यापन
46.	Wage	:	मज़दूरी
47.	Waiting List	:	प्रतीक्षा सूची
48.	Will	:	वसीयत
49.	Wholesale	:	थोक व्यापार
50.	Zonal Office	:	आंचलिक कार्यालय

तृतीय सत्र

यूनिट विभाजन -

यूनिट - १ - व्याख्यान - ५ - प्रयोजनमूलक हिन्दी अर्थ, परिभाषा, स्वरूप

यूनिट - २ - व्याख्यान - ६ - सामान्य हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, प्रयोजनमूलक हिन्दी, स्वरूप एवं विशेषताएँ

यूनिट - ३ - व्याख्यान - ५ - पारिभाषिक शब्दावली, के रूप में ५० शब्दों की सूची संलग्न

यूनिट - ४ - व्याख्यान - १० - अनुवाद अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, महत्त्व

यूनिट - ५ - व्याख्यान - ८ - अनुवाद के भेद
यूनिट - ६ - व्याख्यान - ११ - विज्ञापन

संदर्भ ग्रंथ :

१. प्रयोजन मूलक हिन्दी - डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव
२. प्रयोजन मूलक हिन्दी - डॉ. विनोद गोदरे
३. प्रयोजन मूलक हिन्दी - सिद्धांत और प्रयोग - डॉ. दंगल झाल्टे
४. प्रयोजन मूलक हिन्दी की नयी भूमिका - कैलाश नाथ पांडेय
५. प्रयोजन मूलक हिन्दी - डॉ. पी. ळाता
६. प्रयोजन मूलक हिन्दी - माधव सोनटक्के
७. अनुवाद विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

❖❖❖❖

१

प्रयोजनमूलक हिन्दी अर्थ, परिभाषा, स्वरूप

इकाई की रूपरेखा :

१.० इकाई का उद्देश्य
१.१ प्रस्तावना
१.२ प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ
१.३ प्रयोजनमूलक हिन्दी की परिभाषा
१.४ प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप
१.५ सारांश
१.६ बोध प्रश्न
१.७ उपयोगी पुस्तकें

१.० इकाई का उद्देश्य

इस इकाई में हम आपको प्रयोजनमूलक हिन्दी का परिचय देंगे इसे पढ़ने के बाद आप :

- प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ जान सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोजनमूलक की परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे।

१.१ प्रस्तावना

हिन्दी साहित्य के द्वितीय वर्ष के 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' पाठ्यक्रम की पहली इकाई में प्रयोजनमूलक शब्द का अर्थ जानेंगे इसके अंतर्गत प्रयोजनमूलक शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण की दृष्टि से प्रयोजनमूलक का अर्थ, अँग्रेजी भाषा में प्रयोजनमूलक का अर्थ जानेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोजनमूलक की परिभाषा का अध्ययन करेंगे और सभी विद्वानों की परिभाषा में समानता का विश्लेषण करेंगे। साथ ही प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप के अध्ययन के दौरान प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता उपयोगिता और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग से किस प्रकार प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रगत और प्रभावशाली बनी है यह जानेंगे।

१.२ प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ

प्रयोजनमूलक पद की उत्पत्ति 'प्रयोजन' शब्द के साथ 'मूलक' उपसर्ग जोड़ देने से प्रयोजनमूलक पद बना है। प्रयोजनमूलक पद का शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्‌देश्य या प्रयुक्ति और मूलक उपसर्ग का अर्थ है आधारित। इस प्रकार प्रयोजनमूलक शब्द का अर्थ है। किसी उद्‌देश्य या प्रयोजन की सिद्धि में सहायता करने वाला या व्यावहारिक। भाषायी दृष्टि से हम कह सकते है किसी निश्चित उद्‌देश्य के लिए आधारित भाषा या किसी विशिष्ट उद्‌देश्य के लिए प्रयुक्त भाषा का प्रयोग प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है।

व्याकरण की दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिन्दी पर विस्तृत अध्ययन 'प्रयोजनमूलक हिन्दी : संकल्पना और अनुप्रयोग' नामक पुस्तक में प्रयोजनमूलक हिन्दी के नामकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। "प्रयोजनमूलक हिन्दी पद युग्म में विशेषण-विशेष्य संबंध है। यहाँ 'प्रयोजन' विशेषण है, तो हिन्दी विशेष्य है। प्रयोजन मूलक शब्द बहुब्रीहि समास होने के कारण एक वृत्ति है। अतः इसका विग्रह संभव है जो इस प्रकार है" - "प्रयोजन है मूल जिसका" इस प्रकार यह तो तय है कि विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा प्रयोजनमूलक कहलाती है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी को अँग्रेजी में फंक्शनल हिन्दी (Functional Hindi) कहा जाता है, लेकिन प्रयोजनमूलक को फंक्शनल अँग्रेजी नाम देने से कई विद्वानो को आपत्ति है क्योंकि फंक्शनल का शाब्दिक अर्थ है - वृत्ति मूलक, क्रियाशील और कार्यात्मक ये सभी अर्थ प्रयोजनमूलक की संकल्पना से मेल नहीं खाते, विद्वानों का मानना है कि अप्लाइड (applied) शब्द जिसका अर्थ अनु-प्रयुक्त या प्रायोगिक है। प्रयोजन मूलक के अर्थ के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ सकता है लेकिन आज के समय में प्रयोजनमूलक हिन्दी को अँग्रेजी में फंक्शनल हिन्दी नाम से ही जाना जाता है।

१.३ प्रयोजनमूलक हिन्दी की परिभाषा

भाषा का प्रयोग व उद्‌देश्य अब सिर्फ संपर्क का कार्य नहीं है वरन् समय और प्रगतिशील भविष्य ने भाषा को ज्ञान का वो भंडार माना है जो विरासत को सहेजे हुए है, भावों की अभिव्यक्ति है, विचारों की सारणी है। भाषा अपना हर दायित्व पूरा करती है असंभव को संभव बनाती है ऐसा करने के लिए कई नये रूपों को जन्म देती है इसी कड़ी में प्रयोजनमूलक भाषा का जन्म हुआ प्रयोजनमूलक हिन्दी भाषा आज भारत के हर कार्यक्षेत्र में सफलता से आगे बड़ रही है हर कार्य सिद्ध कर रही है। विद्‌वानों द्‌वारा प्रयोजनमूलक हिन्दी को नवाजा गया है और इस प्रकार शब्दबद्ध किया गया है।

१) मोटुरि सत्यनारायणजी ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत करते हुए लिखा है "जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लायी जाने वाली हिन्दी ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है।"
२) डॉ. दंगल झाल्टे - "प्रयोजनमूलक हिन्दी से तात्पर्य है, हिन्दी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना

द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के अनेक विद्य क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करनें में सिद्ध होता है।"

इस प्रकार डॉ. झाल्टेजी ने प्रयोजनमूलक की परिभाषा के अंतर्गत प्रयोजन मूलक का अर्थ विशेषताओं के साथ प्रयोजन मूलक के कार्यक्षेत्र का भी वर्णन किया है।

३) शिवेन्द्र वर्मा : डॉ. शिवेन्द्र ने एक वाक्य में प्रयोजनमूलक की पूर्ण व्याख्या इस प्रकार की है - "प्रयोजन मूलक हिन्दी से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्तिथि बद्ध हिन्दी भाषा रूप है।"
४) प्रो. न. वी. राजगोपालन इस प्रकार अपने विचार प्रस्तुत करते है : "प्रयोजन मूलक भाषा - भाषा का वह रुप है, जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है।"

अतः सभी विद्वानों के विचार आपस में सहमति दर्शाते है भिन्नता है शब्द रचना की, सभी मतों का सार हम इस प्रकार शब्दबद्ध कर सकते है : - सभी शासकीय, अशासकिय कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, सार्वजनिक स्थानों पर लिखित व मौखिक जानकारी देने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मानक हिन्दी का विस्तार ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है। देश के २५ संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी संपर्क की भाषा है जो साहित्य संस्कृति, कला के क्षेत्र में अपना अधिराज्य जता रही है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रयोग से ज्ञान-विज्ञान, प्रोद्योगिकी, शहर से लेकर गाँव-गलियों तक का विकास व सरकारी कार्य संगणक, इन्टरनेट आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक रुप हिन्दी भाषा की धरोहर को अक्षुण्ण रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। भाषिक दायित्वों का निर्वाह किया और हिन्दी भाषा को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की।

१.४ प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप

सृष्टि की रचना और मानव जाति का जन्म उसी के साथ भाषा का उगम हुआ तभी से लेकर आजतक भाषा संपर्क का कार्य रही है। समाज के विकास की गति के साथ भाषा का महत्त्व भी बढ़ता गया और भाषा के नये आयाम प्रगत हुए। अब भाषा का कार्य क्षेत्र सिर्फ संपर्क नहीं वरन् भाषा वैचारिक, भावात्मक, कल्पनात्मक अभिव्यक्ति का साधन बन गई है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। वह भाषा उस राज्य की मान्यता प्राप्त राजभाषा है। फिर भी देश में हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक संशोधन के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रयोग विश्व में तीसरे क्रमांक पर होता है। इस प्रकार हिन्दी विश्वस्तरीय भाषा है। समय के साथ हिन्दी-भाषा पर अनेक संकट आये। मुगलों के घुसखोरी के पश्चात् हिन्दी भाषा पर फारसी भाषा का प्रभुत्व रहा जो तत्कालीन समय के साहित्य को भी परिलक्षित करता है वहीं अँग्रेजी के लगभग ३०० वर्ष के शासनकाल में अँग्रेजों की तरह अँग्रेजी भाषा अपना वर्चस्व बनाये हुए थी यहाँ तक कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अँग्रेजी भाषा का प्रभाव कम नहीं हुआ था। जन-समुदाय के बोल-चाल की भाषा और साहित्य पर हिन्दी भाषा की पकड़ मजबूत थी लेकिन व्यवहारिक क्षेत्रों में अँग्रेजी का प्रयोग ही उचित समझा जाता था। लेकिन अब जरुरत थी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपना सही अधिकार मिले और देश के सभी प्रतिष्ठित क्षेत्र, और सभी प्रकार के व्यवहारिक कार्य हिन्दी भाषा में हो।

यह कार्य मुश्किल जरुर था नामुमकिन नहीं, विद्‌वानों की गहरी सोच और सच्ची लगन से इस मुश्किल कार्य को प्रयोजन मूलक हिन्दी के रुप में मूर्त रूप प्रदान किया। आज की परिस्थिति में प्रयोजनमूलक हिन्दी के कारण हिन्दी भाषा हर क्षेत्र में हर दृष्टि से परिपूर्ण और सम्पन्न भाषा है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के शब्द परिभाषिक होते है जो एक अर्थ दर्शाने वाले है इसी कारण बहुअल्प समय में प्रयोजन मूलक शब्दावली का विकास हुआ। प्रयोजनमूलक हिन्दी ने समय के अनुरुप स्वयं को ढाल लिया है, यही कारण है कि इन्टरनेट पर भी प्रयोजनमूलक हिन्दी भाषा की शब्दावली उपलब्ध है और निरंतर नये प्रयोगो की ओर अग्रसर है।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले सभी प्रकार के विज्ञान, तकनीकि, विधिसंचार आदि अनेक क्षेत्र में तालमेल बिठाने का कार्य प्रयोजनमूलक हिन्दी कर रही है। प्रयोजन मूलक हिन्दी की उपयोगिता और विशिष्टता का अनुमान हम सहज ही लगा सकते है। आज प्रयोजनमूलक हिन्दी ने कम्प्युटर, इलेक्ट्रानिक्स टेलिप्रिन्टर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार और सभी मनोरंजन के साधन व जनसंचार के माध्यमों में बेधड़क प्रयोग में लायी जा रही है। प्रयोजन मूलक हिन्दी की प्रयुक्ति औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी शाख जमा चुकी है। वर्तमान समय में सभी औद्योगिक उपक्रम, शेयर बाजार, रेल्वे, हवाई व सड़क वाहतुक, बैंक, सेना रक्षा, वैज्ञानिक व तकनीकि क्षेत्र, कार्यालयीन कार्य, पत्र व्यवहार, आवेदन पत्र से लेकर पावती आदि कार्यो में प्रयोजनमूलक हिन्दी अपना महत्त्व सिद्ध कर रही है। शहरों से लेकर गाँव गलियारों तक के सभी कार्य में हिन्दी अपने अस्तित्व को प्रभावशाली बना रही है। देश के सभी केन्द्रिय विद्यालय और प्रमुख विश्वविद्यालयों ने प्रयोजनमूलक हिन्दी को एक विषय के रुप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों को हिन्दी विषय के विशिष्ट ज्ञान से अवगत कराने का बीढ़ा उठाया है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक के सात रूप बताये है। इस जानकारी से प्रयोजनमूलक हिन्दी के कार्यक्षेत्र को समझने में आसानी होगी : "बोलचालीय हिन्दी, व्यापारी हिन्दी, कार्यालयी हिन्दी, शास्त्रीय हिन्दी, वैज्ञानिक तथा तकनीकि हिन्दी, समाजी हिन्दी (सामाजिक कार्यकर्ताओं की हिन्दी) साहित्यिक हिन्दी, प्रशासनिक हिन्दी, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता, आकाशवाणी दूरदर्शन आदि क्षेत्रों में प्रयोग की जानेवाली भाषा प्रयोजन मूलक हिन्दी भाषा है।"

उदाहरण :

प्रयोजन मूलक हिन्दी का प्रयोग आज भारत में सभी प्रचलित क्षेत्रों में बड़ी ही प्रतिष्ठा और सहजता के साथ हो रहा है। प्रयोजन मूलक हिन्दी आज सभी की पसंद और जरुरत बन गई है जो सुनने में जितनी मधुर है उतनी ही बोलने में सरल और सुन्दर है। यहाँ हम कुछ प्रचलित उदाहरण देखेंगे -

१) रेल्वे प्लेटफार्म पर सूचना से अवगत कराने के लिए मौखिक रुप से प्रयोग की जाने वाली हिन्दी।
   'यात्री गण कृपया ध्यान दे क्र. १५०१८ गोरखपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स एक्सप्रेस थोड़े समय में प्लेटफार्म क्रमांक ८ पर आ रही है।'
२) दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले विज्ञापन जो सरकार द्‌वारा जनहित में जारी किये गये है -
   i) स्वच्छ भारत अभियान - "एक कदम स्वच्छता की और"

ii) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आने वाले विज्ञापन
"बेटी भार नहीं, है आधार
जीवन है उसका अधिकार
शिक्षा है उसका हथियार
बढ़ाओ कदम करो स्वीकार
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।"
'सफल राष्ट्र का प्रण हर बेटी को जीवन'

iii) 'माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए।'

ऐसे और कई विज्ञापन है जो जनजागृति अभियान के अंतर्गत आते है और प्रयोजनमूलक हिन्दी की सार्थकता को दर्शाने के साथ साथ सुनने और देखने वालों को मधुरता का आभास कराते है।

इसी प्रकार दूर चित्रवाहिनी पर दिखाये जाने वाले विज्ञापन

i) तंदुरूस्ती की रक्षा करता है - लाइफबॉय
लाइफबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ।

ii) नवरत्न तेल ठंडा - ठंडा कूल-कूल

अखबारों में दिया जाने वाला विज्ञापन

मयंक नर्सरी

- हाइब्रिड फल
- शो प्लांट्स
- फारेस्ट्री प्लाट्स लॉन
- औषधीय पौधे आदि के थोक व फुटकर विक्रेता

सूरज नगर, भदभदा ब्रिज के सामने,
भोपाल - फोन - ९८२० ....

रेडियो पर आने वाले विज्ञापन

i) प्रार्थना की वजह अपनी अलग अलग सायकल प्योर अगरबत्तीयाँ

ii) सुनिए रेडियो की दूनिया का पहला 3D विज्ञापन

ये रेपर से निकलकर आपके करीब आ रही है और भी करीब, ओर भी करीब, पकड़िए मत ऊँ हुँ ये आपके मुँह में जा रही है, बाईट लीजिए, धीरे धीरे चबाइए, चबाइए चोकलेट नेगोवा, केरेमल आपके मुँह में धुल रहे है आप खो रहे है, खो रहे है, खो रहे है यह विज्ञापन आप 3D चश्में के बगेर भी सुन सकते है।

इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिन्दी का भाषायी चमत्कार सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर है। यह भाषा जितनी मधुर है उतनी ही आकर्षक और एक अर्थ देने वाली है जिसके कारण श्रोतागण किसी भी प्रारुप को सुनते ही उससे अवगत हो जाते है बिना किसी संकोच के।

१.५ सारांश

इस इकाई में आपने प्रयोजनमूलक हिन्दी के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आशा है कि इस इकाई का अध्ययन आपने ध्यानपूर्वक किया होगा और इकाई में दिए गए सभी मुद्दों को आप अच्छी तरह समझ गये होंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- प्रयोजनमूलक पद का अर्थ समझ सकते है।
- विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रयोजनमूलक हिन्दी की परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते है।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप को जान सकते है।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के कार्यक्षेत्र के बारे में जान सकते है।
- विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रयोजनमूलक हिन्दी की लोकप्रियता और आवश्यकता का अनुमान लगा सकते है।

१.६ बोध प्रश्न

१. प्रयोजनमूलक हिन्दी के अर्थ और परिभाषा का विवेचन कीजिए।
२. प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
३. प्रयोजनमूलक हिन्दी विविध क्षेत्रों में क्यों आवश्यक है स्पष्ट कीजिए।
४. प्रयोजनमूलक हिन्दी भाषा की संकल्पना का विवेचन कीजिए।

१.७ उपयोगी पुस्तकें

१. प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका - कैलाशनाथ पाण्डेय
२. प्रयोजनमूलक हिन्दी - माधव सोनटक्के
३. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झाल्टे
४. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. बखतसिंह गोहिल

❖❖❖❖

२

सामान्य हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, प्रयोजनमूलक हिन्दी स्वरूप एवं विशेषताएँ

इकाई की रूपरेखा :

२.० इकाई का उद्देश्य

२.१ प्रस्तावना

२.२ सामान्य हिन्दी

  २.२.१ सामान्य हिन्दी स्वरूप

  २.२.२ सामान्य हिन्दी की विशेषताएँ

२.३ साहित्यिक हिन्दी

  २.३.१ साहित्यिक हिन्दी का स्वरूप

  २.३.२ साहित्यिक हिन्दी के रूप

२.४ प्रयोजन मूलक हिन्दी की विशेषताएँ

२.५ सारांश

२.६ बोध प्रश्न

२.७ लघुत्तरीय प्रश्न

२.८ सहयोगी पुस्तके

२.० इकाई का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी निम्नलिखित मुद्दों को समझ सकेंगे -

- सामान्य हिन्दी के स्वरूप और विशेषताएँ समझ सकेंगे।
- साहित्यिक हिन्दी के स्वरूप और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन कर सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताओं से अवगत होंगे।

२.१ प्रस्तावना

हिन्दी भाषा सभी भाषाओं में सबसे उभर कर दिखती है इसका एक कारण है इस भाषा का वृहत् रूप जो अपनी अलग अलग विशेषताओं और स्वरूपों के लिए जाने जाते है। इस इकाई

सामान्य हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी और प्रयोजन मूलक हिन्दी की कार्य प्रणाली और आवश्यकताओं को जानने का ध्येय प्रमुख है।

२.२ सामान्य हिन्दी

२.२.१ सामान्य हिन्दी स्वरूप :

हिन्दी भाषा की विस्तृत परिधि में एक रूप है सामान्य हिन्दी यह रूप सभी रूपों की अपेक्षा अधिक प्रचलित और प्रयोगशील है। देश के अधिकांश राज्यों की यह परिनिष्ठित भाषा है जैसे - उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में भी यह भाषा नागरिकों द्वारा बोली जाती है और आसानी से समझी जा सकती है।

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी भाषा के विकास और हिन्दी शब्द के उगम पर हम विचार करें तो प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से यह शब्द नहीं जुड़ता और न ही इनके अग्र रूप से हिन्दी शब्द बनता है, क्योंकि हिन्दी शब्द किसी भाषा विशेष से संबंधित न होकर फारसी भाषा से प्रयुक्त हुआ शब्द है। डॉ. धीरेन्द्र वर्माजी के मतानुसार 'संस्कृत के 'स' ध्वनि का उच्चारण फारसी भाषा में 'ह' होता है। और इसी आधार वर्माजी का यह भी मानना है कि सिन्धी शब्द का रूपान्तरण हिन्दी है। लेकिन कई विद्वान इस मत में अपनी असहमति प्रकट करते हुए यह धारणा व्यक्त करते है कि हिन्दी शब्द प्राचीन साहित्य में कही भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। लेकिन पारसीयों के प्राचीन ग्रंथों में जो लगभग ५००० वर्ष पुराने है, उनमे हिन्दी शब्द का प्रयोग मिलता है, दसतीर नामक ग्रंथ में हिन्दी शब्द का प्रयोग इस प्रकार हुआ है - "अकनुं विरहमने व्यास नाम अज हिन्द" इस वाक्य में ब्राह्मण शास्त्रार्थ के पूर्व अपना परिचय दे रहा है। जिसका अर्थ इस प्रकार है मैं हिन्द देश में जन्मा हिन्दी हूँ। इसी प्रकार हिन्दी शब्द के स्रोत ईरान के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलते हैं क्योंकि ईरान में सिंधु नदी के पार के देशों के लिए हिंद शब्द प्रयुक्त होता था। इसी आधार पर युरोप द्वारा दिया गया नाम India का Ind शब्द भी हिन्द से ही बना है। यह स्पष्ट हो जाता है। और धीरे धीरे कालान्तर में हिन्दी के निवासी और हिन्द की भाषा हिन्दी शब्द में परिवर्तित होने के साथ कंठस्थ हो जाती है।

हिन्दी शब्द के अर्थ पर दृष्टि डाले तो अरबी और फारसी के प्राचीनतम इतिहास में हिन्दी शब्द का अर्थ होता था भारतीय तलवार और इसके अतिरिक्त अरबी साहित्य में तमर हिन्दी का शाब्दिक अर्थ है - 'इमली'।

निम्नलिखित विवरण से यह स्पष्ट है कि 'हिन्दी' शब्द मुस्लिम धर्म के भारत आगमन के पश्चात अस्तित्व में आया और मुस्लिम बादशाहों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मुस्लिम बादशाहों ने हिन्दी के साथ भाषा का प्रयोग भी किया। यह भाषा शब्द इससे पूर्व 'भाखा' शब्द रूप में प्रचलित था। इस प्रकार हिन्दी भाषा शब्द बहुत मात्रा में मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयोग हुआ। इनका मुख्य निवास मध्य देश और दिल्ली रहा है। इसी कारण वहाँ की प्रमुख बोली को जबाने हिन्दी कहा जाने लगा।

आज के परिदृश्य में हिन्दी भाषा भारतीय संघ की राज भाषा है जो विशाल भारत देश की ७०% जनता द्वारा बोली व प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात २६ जनवरी १९५० को नए संविधान के पारित होने के साथ ही सर्व सम्मति से हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अध्ययन के पश्चात यह तो निश्चित है कि हिन्दी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुसलमान शासकों द्वारा हुआ लेकिन हिन्दी भाषा ने अपना अस्तित्व सर्वप्रथम ईसा की छठवी शताब्दी से १३ वी शताब्दी तक विदेशों में भारतीय भाषा के अर्थ में प्रचलित रहा। इस दीर्घ यात्रा में कई नामों से यह भाषा संबोधित हुई। जैसे भारवा, हिन्दवी, हिन्दुई, रेख्ता, गूजरी, उच्च हिन्दी, नागरी हिन्दी, शुद्ध हिन्दी, आर्य भाषा, शास्त्री तथा हिन्दुस्तानी आदि। इतने अधिक नामों के साथ निश्चित ही यह अनेक प्रांतों की भाषा बनी और लगातार विकास की ओर अग्रसर रही। इन सभी नामों के आधार पर भाषा का विकास इस प्रकार हुआ।

हिन्दवी - इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुहम्मद आओफी ने १३ वी शती में किया, अमीर खुसरों द्वारा अपने ग्रंथ खालिफ बारी में इस शब्द का प्रयोग मिलता है, हिन्दवी का विकास शोरसैनी और अपभ्रंश से हुआ, दिल्ली राज्य में इसी भाषा को 'देहलवी' भी कहा जाता था।

रेख्ता - हिन्दवी का विकास जब एक विशेष शैली के रूप में हुआ तो उसे रेख्ता कहा गया इसका शाब्दिक अर्थ है मिला-जुला। फारसी और हिन्दी एक दूसरे से अधिक मिल गई तब वह रेख्ता नाम से प्रचलित हुई। इसका प्रथम प्रयोग १५८६ में सादी दक्खिनी, मीरा सौदा, गालिब आदि कवियों की भाषा रेख्ता नाम से जानी जाती है।

रेख्ती - रेख्ती - रेख्ता का ही एक रूप है। इसमें प्रमुखतः मुहावरों, रूपों और प्रयोगों की बहुलता होती थी जो तत्कालीन समय में मुस्लिम स्त्रीयों द्वारा प्रयोग में लाये जाते थे।

दक्खिनी - उत्तर भारत के शासकों के साथ जो भाषा दक्षिण की और गई वह दक्खिनी कहलाई। इस भाषा पर दक्षिण की भाषा का भी प्रभाव रहा। दक्खिनी भाषा में काव्य रचना करनेवाले अधिकांश सभी कवि मुलसमान थे। उन्होंने फारसी लिपि में साहित्य रचना की इसमे प्रमुख है - बहमनी राज्य आदिल शाही, कुतुबशाही, बरीदशाही, इमादशाही आदि।

इन कवियों ने अरबी और फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग किया उत्तर भारत में इसी भाषा का विकसित रूप उर्दु कहलाया।

गूजरी - दिल्ली की भाषा में जब गुजराती भाषा के शब्द मिलने जुलने लगे तो गूजरी भाषा का निर्माण हुआ। इसमें प्रमुखतः अरबी, फारसी और गुजराती शब्दों का मिश्रण मिलता है। इस भाषा में काव्य रचना भी हुई है। गूजरी के प्रमुख कवि है, अहमद खट्टू, शेख बुरहानुद्दीन कुत्बे, आलम बुखारी आदि।

हिन्दुस्तानी - हिन्दुस्तानी शब्द युरोपियन विद्वानों द्वारा हमें मिला है। सन १८०० में फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राईस्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया ऐसा माना जाता है। हिन्दी और उर्दु के मिले-जुले रूप को ही हिन्दुस्तानी भाषा कहते है।

आर्य भाषा - आर्य भाषा का प्रचार-प्रसार उन्नीसवीं शती में हुआ। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद द्वारा आर्यभाषा का उद्बोधन हुआ। आर्य भाषा में देवनागरी और नागरी शब्दों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया।

शास्त्री, शास्त्रीक भाषा - पंजाबी भाषा में नागरी लिपि का प्रयोग होता है उसे ही शास्त्री या शास्त्रीक भाषा कहा जाता है।

शुद्ध हिन्दी और उच्च हिन्दी - जिसमें तत्सम शब्दों की अधिकता हो वह शुद्ध हिन्दी कहलायी और संस्कृत शब्दों के अधिक्यता से प्रयोग की गई भाषा उच्च हिन्दी कहलाई।

इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा में खड़ी बोली नाम इन सभी नामों (अवधी, ब्रज, राजस्थानी) में नये रूप में उभरकर सामने आया है। और हमारे संविधान में भी खड़ी बोली को ही राजभाषा का मान मिला है

२.२.२ सामान्य हिन्दी की विशेषताएँ :

सामान्य हिन्दी के प्रदीर्घ अध्ययन क्षेत्र में लगभग ५००० वर्ष पूर्व से हिन्दी शब्द के प्रयोग और १२-१३ शताब्दी से हिन्दी भाषा के प्रयोग और अलग-अलग रूपों में किस प्रकार यह भाषा उभरकर सामने आई और धीरे-धीरे अपना विस्तार करती हुई देश की राजभाषा के रूप में व्याप्त हुई है। जो देश में ही नहीं संपूर्ण वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा एक बड़ी जनसंख्या द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रचलित भाषा है। सामान्य हिन्दी भाषा की विशेषता इस प्रकार है।

१) सामान्य हिन्दी की व्यापकता :

हिन्दी भाषा आज देश में नहीं वरन् परदेश में भी प्रचलित है। इस भाषा को सिर्फ भाषा की दृष्टि से न जानकर प्रायोगिक दृष्टि से भी हिन्दी भाषा विश्व में पहली तीन भाषा में गणी जाती है। भारत देश के अधिकांश राज्य - बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश की राजधानी दिल्ली प्रमुख हिन्दी भाषा क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि इन सभी राज्यों में हिन्दी का एक ही रूप है, वरन् सभी जगह हिन्दी बोलने का लहजा अलग अलग है। कुछ शब्द भी परिवर्तन करके प्रयोग में लाये जाते है। इस संदर्भ में अध्ययन करते समय ही एक कहावत याद आती है - घाट-घाट पर पानी बदले, कोस-कोस पर वाणी।

इस प्रकार यथार्थ और वास्तविकता के आधार पर ही यह कहावत बनाई गई होगी ऐसा प्रतीत होता है। ग्रामीण भाग की बोली अलग है वहीं शहरी भाग की बोली शिष्टाचार लिए है, साहित्य अपने विषय के अनुरुप अपनी भाषा बना लेता है वहीं विचार-विमर्श, पत्रकारिता, शिक्षा और व्यापार हर एक क्षेत्र की हर एक वर्ग की अपनी अलग बोली है। प्रशासनिक कार्य भी वर्तमान समय में हिन्दी भाषा की प्रबलता को दर्शा रहे है यहाँ हिन्दी मानक हिन्दी के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है और इसकी विशेषता यह है कि यह भाषा सभी के लिए समान है इसका रूप निर्धारित है जिसके अनुरुप यह अपना कार्य व्यापक रूप से करती है। हिन्दी भाषा के अथाह शब्द भंडार और लचीलेपन के कारण ही यह भाषा सभी क्षेत्रों में अपनेपन और स्नेह से बोली जाती है। हिन्दी भाषा की व्यापकता का उच्चांक इन्ही विशेषताओं के कारण है।

२) भाषाशास्त्र :

भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी हिन्दी भाषा मुख्य भाषा है। संस्कृत के तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्‌भव शब्दों की हिन्दी में बहुलता इस भाषा के शास्त्रीयता को प्रस्तुत करती है और इसी आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने इसे कई नामों से संबोधित किया है जैसे - शुद्ध हिन्दी, साधु हिन्दी, नागरी हिन्दी, हिन्दुस्तानी, आर्य भाषा आदि। भाषा शास्त्रीय शब्दावली में वह संसार के भाषा समूहों में भारत यूरोपीय कुल के भारत ईरानी उपकुल में भारतीय शाखा की आधुनिक भाषाओं में से एक मुख्य भाषा है।

३) संविधान की भाषा :

जैसा कि हम जानते है २६ जनवरी १९५० को देश में नया संविधान लागू किया गया। जिसके अनुसार भारत देश पूर्ण स्वतंत्र, प्रभू सत्ता सम्पन्न गणराज्य है। संविधान में भाषा विषयक जानकारी धारा ३४३ (१) में दी गई है जो इस प्रकार है - "संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी होगी। संविधान में हिन्दी को तीन स्तरों पर राजभाषा स्वीकार किया गया है। प्रथम स्तर पर वह भारतीय संघ की देवनागरी लिपि में लिखित राजभाषा है। अर्थात केन्द्रीय राज-भाषा का पद हिन्दी को प्रदान किया गया। दुसरे स्तर पर विभिन्न हिन्दी प्रदेशों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आदि की प्रादेशिक भाषा है। अर्थात इन राज्यों ने हिन्दी में प्रशासन कार्य का संचालन संपादन करने की घोषणा कर दी है। तीसरे स्तर पर पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रान्त अपने प्रशासन में सह भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता दी है।"

इस प्रकार सामान्य हिन्दी का स्वरूप की विस्तृतता और विशेषता हिन्दी भाषा के प्रचलित रूप में हम दृष्टिगत होते देख सकते है। इस भाषा के लचीलेपन ने इसे हर क्षेत्र में गतिमान बना दिया है।

२.३ साहित्यिक हिन्दी :

२.३.१ साहित्यिक हिन्दी स्वरूप :

सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि साहित्यिक हिन्दी किसे कहते है - साहित्य सृजन में जिस हिन्दी का प्रयोग होता है वह साहित्यिक हिन्दी कहलाती है। साहित्य क्षेत्र में हिन्दी भाषा, विषय, भाव, विचार और विधा के अनुरुप अपना विशिष्ट स्वरूप स्वीकारती है। यह आम-आदमी की बोलचाल की भाषा न होकर एक विशेष शब्दावली से गुंथी हुई भाषा होती है। जिसके द्वारा लेखक या कवी अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। यह भाव किसी एक प्रकार के नहीं होते। यह विधा, लेख या कविता पर निर्भर होते है। और यदि यही भाव पाठक या वाचक के मन को भी उत्प्रेरित करते है तो यह साहित्यिक लेखनी की सार्थकता कही जा सकती है।

साहित्यिक भाषा का सृजन रूप बहुत ही विस्तृत है जिसमें साहित्य के विभिन्न रूप समाज के हर क्षेत्र सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि पहलु, गतिविधियों, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल की परिकल्पना वहीं समुद्र, नदी, पर्वत, वन, रास्ते, गाँव, शहर, आजीविका के साधन आदि कईयों रूपों में साहित्य सृजन होता है और हर एक रूप अपनी अलग शब्दावली से साहित्य सजता है, रचता है। और इसी शब्दावली के शिष्ट प्रयोग से

वाचक साहित्य की और आकर्षित होता है। साहित्य भाषा के माध्यम से इतना प्रभावशाली बन सकता है कि जैसे यदि देश भक्ति पर कविता हम सुने या पढ़ें तो हमारी अन्तर्रात्मा भी कविता के भावों में ओत-प्रोत हो जाती है, हास्य कविता या लेख को पढ़कर सुनकर हम हँसने लगते है। कहने का तात्पर्य यही है कि साहित्यिक हिन्दी की ताकत हमारे रोज-मर्रा के जीवन, जीवन की गतिविधियों और विचारों को कुछ समय के लिए ही क्यों न हो अपने रंग में ढाल लेती है। और यदि साहित्यिक भाषा समाज के सत्य को दर्शाती है कटु परिस्थितियों और अनदेखी बातों को मुद्दों को एक विशिष्ट शैली द्वारा हमारे सामने रखती है तो इसके माध्यम से जन जागृति जैसा जटिल कार्य भी आसान हो जाता है। इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है।

साहित्यिक भाषा अपने शिष्टाचारों के माध्यम से आगे बढ़ती है। यही शिष्टाचार का माध्यम लेखक के उद्देश्य को सार्थक करता है। साहित्यिक भाषा अनेक परिशिष्टों के माध्यम से सुंदर और संगठित बनती है। साहित्यिक भाषा-शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस, छंद, अलंकर, शैली, बिम्ब, प्रतीक आदि की उपयोगिता या प्रायोगिकता साहित्यकार की विद्वदता को पुष्ट और परिपूर्ण करती है।

साहित्य में शब्द शक्ति में अमिधा, लक्षणा, व्यंजना है और शब्दगुण में ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण प्रमुख है। साहित्य में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का होना उच्च दर्जे का काव्य समझा जाता है। इस प्रकार का काव्य पाठक के मन में आस्वादन करने में अहम भूमिका निभाता है। अलंकार, शैलीगत सौंदर्य, विषय काव्य, विषय की विविधता पर निर्भर होते है।

इन सभी के प्रयोग से भाषा को प्रभावी और मनमोहक बनाया जा सकता है। इन सभी कारणों से आम बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा भिन्न भिन्न होती है। लेकिन इन सभी (शब्द, शक्ति, शब्दगुण, अलंकार, छंद आदि) का अति प्रयोग साहित्य और भाषा को क्लिष्ट बना देता है। ऐसा साहित्य पाठकों के मन को आकर्षित करने की जगह उलझा भी सकता है। इस प्रकार साहित्य प्रयोजन और साहित्य हेतु को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। साहित्य निर्माण ही साहित्यिक भाषा को परिनिष्ठित रूप दे सकता है।

भाषा और शब्दों की विविधता ही साहित्य को समृद्ध बना सकती है, जैसे आधुनिक काल में प्रमुख कवि जयशंकर प्रसादजी के काव्य पर दृष्टि डाले उनके द्वारा लिखित काव्य भाषा का सूक्ष्म अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि प्रसादजी ने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुताधिक किया है साथ ही उनके काव्य में उच्च हिन्दी और शुद्ध हिन्दी का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रसादजी का काव्य भाषायी कौशल्य की पराकाष्ठा का काव्य है जबकि तत्कालीन समय में ऐसा माना जाता था कि उर्दु भाषा या उर्दु शब्दों के प्रयोग के बिना काव्य रचना असंभव है। इसी प्रकार निराला, पन्त और महादेवी वर्मा आदि साहित्यकारों ने भी सशक्त भाषा के माध्यम से विकासशीलता साहित्य को प्रदान की जिसने मानवीय मन और समाज, प्रकृति आदि सभी क्षेत्रों में संवेदना अनुभाव, अनुभूति, अभिव्यक्त करने की क्षमता है।

२.३.२ साहित्यिक हिन्दी के रूप :

साहित्यिक हिन्दी भाषा समय के साथ परिवर्तित होती है जैसा समय है वैसी ही लेखक या कवि अपने साहित्य में भाषा का प्रयोग करेगा। कुछ अपवादों को छोड़कर।

मुख्य रूप से इन्ही बातों को ध्यान में रखकर साहित्यिक हिन्दी को चार भागों में विभाजित किया गया है।

i. संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिन्दी
ii. अरबी - फारसी शब्दावली युक्त साहित्यिक हिन्दी
iii. सामान्य बोलचाल की भाषावाली साहित्यिक हिन्दी
iv. अंग्रेजी शब्दावली युक्त साहित्यिक हिन्दी

इस प्रकार प्रमुख रूप से विद्वानों द्वारा साहित्यिक हिन्दी के चार रूप बताये गये है, लेकिन प्रादेशिक और विदेशी भाषाओं के आधार पर साहित्यिक हिन्दी अनेक रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत है इसका स्वरूप सामान्य हिन्दी से भी वृहत और गहन कहा जा सकता है।

१) साहित्यिक हिन्दी और जन संचार माध्यम :

आज के समय में जन संचार के बढ़ते स्त्रोत ने साहित्य को भी प्रभावित किया है, लेकिन यह प्रभाव सकारात्मक है। सामाजिक और ज्ञान प्रदान करने वाली साहित्य सृजना जैसे कथा, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, कविता, गीत, गीति नाट्य, नाटक, एकांकी आदि का चल चित्र माध्यम आज सजग हो चुका है। यहाँ पाठक या वाचक का स्थान दर्शक ने ले लिया है वह भी बहुल मात्रा में। इस प्रकार मनोरंजन के माध्यम से साहित्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में सार्थक हो गया है। जनसंचार माध्यमों द्वारा जब साहित्यिक प्रदर्शन किया जाता है तो साहित्य की भाषा में कुछ परिवर्तन भी करना पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक भाषा साहित्य प्रेमी के लिए आसान हो सकती है। जन सामान्य के लिए नहीं परंतु साहित्य कृतियों का प्रदर्शन जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है तो भाषा को ऐसा रूप दिया जाता है कि भाषा प्रत्येक देखने या सुनने वाले श्रोता या दर्शक को आसानी से समझ सके।

२) साहित्यिक हिन्दी और पाठ्यक्रम :

साहित्यिक हिन्दी का रसास्वादन वही लोग कर पाते है जो साहित्य की समझ या साहित्य में रूचि रखते है। विद्यालय, महाविद्यालय और विद्यापीठ आदि के पाठ्यक्रम में ऐसी रचनाओं लेखो और विधाओं का समावेश होता है। जिसके अध्ययन से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर सके अपने समाज, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल कर भविष्य काल को सुदृढ बना सके। यही कारण है कि विद्यालयीन साहित्यिक अध्ययन में साहित्यिक उद्देश्य पर अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन कराया जाता है। वहीं महाविद्यालयीन साहित्यिक अध्ययन में उच्चकोटि के साहित्यिक विवेचन पर वमर्श करने को विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। इसके द्वारा साहित्यिक हिन्दी को नये स्त्रोत और नये आयामों के विकास की दिशा मिलती है।

३) मौलिक सृजन शक्ति :

साहित्यिक रचना सभी साहित्य विधानों को अंतर्निहित कर सकती है जिसके द्वारा ही साहित्यकार की मौलिक सृजन शक्ति का उपयोग होता है। खास तौर पर वैज्ञानिक साहित्य जिसमें लेखक जगत और जीवन तथ्यों के सत्य को सिद्धांतों आदि के माध्यम से तथ्य सहित लिखने की प्रयास करता है। यह सृजनता विषयानुरुप होती है जैसे समाजशास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक में समाज में घटित मुद्दों के माध्यम से (एक से अधिक एक ही प्रकार के मुद्दे) तथ्यों को खोज कर सत्य परिस्थिति जानकर उसी रूप में अपनी लेखनी द्वारा सविस्तार प्रस्तुती

देगा। भूगोल के लेखक पर्यावरण, पर्वत, नदी आदि प्रकृति द्वारा बनाये गये इन पदार्थो का निर्माण नहीं कर सकता परंतु इनका विवरण प्रस्तुत कर आपसी संबंधो पर भर देगा। वहीं साहित्यकार जैसे उपन्यासकार या कहानीकार अपनी लेखनी और कल्पना शक्ति को माध्यम बनाकर नये नये पात्रों, घटनाओं, परिस्थितियों आदि का निर्माण करता है जिससे साहित्य को रोचकता मिल सके और उसकी भावना और कल्पना को वाणी रूप प्राप्त हो सके। इसी कारण साहित्यिक हिन्दी गहन और अध्ययशील है।

४) रचनात्मक साहित्य :

रचनात्मक साहित्य के प्रमुख रूप से दो पक्ष होते है - वस्तु पक्ष और शैली पक्ष। यह तो हम जानते हैं श्रेष्ठ रचना (बिम्ब) वस्तु की आवश्यकता पर आधारित होती है। लेकिन शैली भी साहित्य का आवश्यक रूप है क्योंकि शैलीगत रूप ही साहित्यिक विधान तय कर सकता है जैसे किसी घटना या मार्मिक प्रसंग को कहानी उपन्यास नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। और मार्मिक भावों को रस-व्यंजनार्थ हेतु - कविता को उपयुक्त माध्यम समझ कर उसी शैली में काव्य रचना करता है। मनोवृत्ति को विश्लेषण या विवेचन निबंध के माध्यम से करता है। वही किसी घटना या आंदोलन के सचित्र दृश्यों को रिपोर्ताज द्वारा साकार करना पड़ेगा। इस प्रकार रचनात्मक साहित्य विषय प्रधान रहता है और शैली गौण। विषय की अभिव्यक्ति ही शैली कहलाती है। शैली का मुख्य उद्देश्य विषय की अभिव्यंजना है।

५) वर्तमान समय और साहित्य :

साहित्य हर काल में अपने विषय, रूप और शैली के भिन्न भिन्न रूपों के निर्माण द्वारा प्रस्तुत हुआ है। आज के साहित्य पर नजर डाले तो साहित्यिक भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से जुड़ गई है और भाव सामान्य जन मानस आज की साहित्यिक हिन्दी अपनी जटिलता और क्लिष्टता को भुलाकर जन जन की भाषा बन गई है। साहित्य की कोई भी विधा गद्य हो या पद्य पाठक या श्रोता आसानी से समझ सकता है। काव्य में व्यक्त भावों को अनुभूति प्रदान कर साहित्यिक सृजन को सार्थकता मिल रही है और साहित्यिक विषय सृष्टि में बसे हर एक पदार्थ, स्थायी हो या अस्थायी हर एक पहलु, नजर, घटना आदि सभी तथ्यों को छूकर उनको अनुशीलन, विवेचन और वर्णन से साहित्य निखर रहा है।

२.४ प्रयोजन मूलक हिन्दी की विशेषताएँ

भारत देश लगभग ३०० वर्ष की परतंत्रता के बाद जब स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हुआ उस समय देश की कोई ऐसी एक भाषा नहीं थी जिसमें सरकारी कामकाज किये जा सके। आवश्यकता थी एक ऐसी भाषा की जिसे भारत देश की अधिक से अधिक जनसंख्या अपनी बोल-चाल में अपनाती हो या आसानी से समझ सकती हो इन सभी मापदण्डों में एक ही भाषा साकार रूप में दिखती थी वह थी हिन्दी यही भाषा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजभाषा बनी जिसने साधारण भाषा से साहित्य लेखन की भाषा और साहित्य लेखन के साथ अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरी जैसे जन संचार, दूर संचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता, ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संगणक के सभी कार्यो के साथ आगे बढ़ती हुई प्रयोजन मूलक हिन्दी की अवधारणा बन गई।

प्रयोजन मूलक हिन्दी की स्थापना का श्रेय आंध्रप्रदेश के भाषा के विद्वान श्री मोटूरि सत्यनारायण को जाता है। इनके अथक प्रयासों से सन १९७२ में प्रयोजन मूलक हिन्दी के मानक-स्थान मिला। प्रयोजन मूलक हिन्दी की स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि हिन्दी केवल साहित्य की भाषा न समझी जाए यह एक राज भाषा है इस दृष्टि से इस भाषा का प्रयोग हर क्षेत्र में अग्रणीय रहे और यही संकल्पना से प्रेरित होकर १९७४ में बनारस में आयोजित एक संगोष्ठी में प्रयोजन मूलक हिन्दी के क्षेत्र में अलक्षणीय विकास हुआ। प्रयोजन मूलक हिन्दी एक विषय के रूप में महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हो अध्ययन और अध्यापन के रूप में प्रयुक्त हुआ।

यही कारण है कि आज हिन्दी भाषा देश में सर्वोपरी फलक पर प्रस्तुत है। हिन्दी भाषा सभी क्षेत्र और विभागों में उत्तम कामगिरी कर रही है फिर वह कम्पूटर, इलेक्ट्रॉनिक, टेलिप्रिंटर क्षेत्र हो या रेडियो, अखबार, डाक, वही मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्म, धारावाहिक, विज्ञापन आदि सभी पर हिन्दी भाषा सरोताज रूप में विराजमान है। इसके अतिरिक्त रेल, हवाईजहाज, बीमा, शिक्षा, सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों आदि अनेक क्षेत्र है जो हिन्दी भाषा में कार्य कर रहे हैं। हिन्दी आज वैज्ञानिक एवं तकनीक की भाषा भी है और विधि एवं कानूनी भाषा रूप में भी प्रयुक्त हो रही है।

प्रयोजन मूलक हिन्दी की विशेषताएँ :

प्रयोजन मूलक हिन्दी का स्वरूप बहुत सुदृढ़ है इसी आधार पर इसकी विशेषताएँ इस प्रकार है।

१) वैज्ञानिकता :

प्रयोजनमूलक शब्द शुद्ध रूप में होते है इन्हे पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु के कार्य और गुण के आधार पर नामकरण किया जाता है, और इसी नाम से वह शब्द उच्चारित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भाँति सार्वभौमिक होते है। इसी दृष्टि से हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली विशेष महत्व रखती है।

२) अनुप्रयुक्तता :

प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वयं अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है क्योंकि इसमे उपसर्ग प्रत्ययों और सामासिक शब्दों की बहुलता है इसीलिए प्रयोजन मूलक के माध्यम से हिन्दी शब्दावली का अनुप्रयोग सहजता से हो सकता है।

३) वाच्यार्थ प्रधानता :

प्रयोजन मूलक हिन्दी में हिन्दी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। ज्ञान - विज्ञान और तकनीकि के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्दावली के अर्थ को स्पष्ट कर विभिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण सहज हो सकता है पर्यायी अर्थ वाचिक शब्द का सही अर्थ और पर्याय उपस्थित करता है यति हिन्दी का वाच्यार्थ भ्रांति उत्पन्न नहीं करता।

४) सरलता और स्पष्टता :

सरलता और स्पष्टता प्रयोजन मूलक भाषा का सर्वोपरि गुण है और एकार्थक है।

इसी प्रकार हिन्दी भाषा की समर्थता जो हर क्षेत्र में सर्वोपरि है इसकी प्रयोजन मूलक अवधारणा ने यह सिद्ध कर दिया है।

२.५ सारांश

इस इकाई में हमने प्रयोजनमूलक हिन्दी सामान्य हिन्दी और साहित्यिक हिन्दी का अध्ययन विद्यार्थीयों ने किया है। इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थी सामान्य हिन्दी साहित्यिक हिन्दी के स्वरूप और विशेषताओं से परिचित हो गये है और पाठ्यक्रमानुसार दिये गये सभी मुद्दो को अच्छी तरह से समझ गये होंगे।

२.६ बोध प्रश्न

१) सामान्य हिन्दी के स्वरूप और विशेषताओं को समझाइए।
२) साहित्यिक हिन्दी के स्वरूप से अवगत कराते हुए उसके विभिन्न रूप का वर्णन कीजिए।
३) प्रयोजन मूलक हिन्दी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

२.७ लघुत्तरीय प्रश्न

१) अरबी साहित्य में हिन्दी का शाब्दिक अर्थ है।
उत्तर - 'इमली'

२) हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ ?
उत्तर - २६ जनवरी १९५०

३) गूजरी भाषा का निर्माण कैसे हुआ ?
उत्तर - दिल्ली की भाषा में गुजराती भाषा के शब्द मिलने से।

४) आर्य भाषा का उद्‌बोधन किसके द्‌वारा हुआ माना जाता है ?
उत्तर - महर्षि दयानंद

५) संविधान की कौनसी धारा में भाषा विषयक जानकारी है ?
उत्तर - धारा ३४३ (१)

६) साहित्यिक हिन्दी को प्रमुखतः कितने भागों में बाँटा गया है ?
उत्तर - चार भागों में।

७) प्रयोजन मूलक हिन्दी की स्थापना का श्रेय किस विद्‌वान को जाता है ?
उत्तर - मोटूरी सत्यनारायण

२.८ सहयोगी पुस्तके

१) प्रयोजन मूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
२) प्रयोजन मूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झाल्टे

❖❖❖❖

३

अनुवाद

इकाई की रूपरेखा :

३.१ इकाई का उद्‌देश्य
३.२ प्रस्तावना
३.३ विषय विवेचन
३.३.१ अनुवाद का अर्थ एवं स्वरूप
३.३.२ अनुवाद की परिभाषाएँ
३.३.३ अनुवाद का महत्त्व
३.४ सारांश
३.५ अभ्यास प्रश्न
३.६ लघुत्तरीय प्रश्न
३.७ सहायक ग्रंथ

३.१ इकाई का उद्‌देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप -

१. अनुवाद का अर्थ एवं स्वरूप से अवगत हो जाएँगे।
२. अनुवाद की परिभाषा से परिचित हो जाएँगे।
३. अनुवाद के महत्त्व को जान सकेंगे।

३.२ प्रस्तावना

हमारे देश में अनुवाद की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितनी कि भाषा। आज 'अनुवाद' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं रहा है। विभिन्न भाषायी मंच पर, साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग देखने-सुनने को मिलता है। 'साधारणतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है।' परंतु यह अनुवाद का कार्य उतना आसान नहीं, जितना कहने या सुनने में आसान जान पड़ता है। इस इकाई में अनुवाद के अर्थ एवं स्वरूप को लेकर विवेचन किया गया है साथ ही पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अनुवाद के महत्त्व को रेखांकित किया गया है।

३.३ विषय विवेचन

दो भिन्न भाषाओं की अलग-अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति-रिवाज़, रहन-सहन, वेशभूषा होती है, अतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपान्तरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी-कभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है, जिसके लिए न केवल लक्ष्य-भाषा और स्रोत-भाषा पर अधिकार होना ज़रूरी है बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और सन्दर्भ का गहरा ज्ञान भी आवश्यक है। अतः अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है, जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित समय तथा दूरी के अन्तराल को पार कर भावात्मक एकता स्थापित की जा सकती है। इस इकाई को समझ लेने के लिए प्रथमतः हमें अनुवाद के अर्थ एवं स्वरूप को समझ लेना होगा साथ ही उसकी जो परिभाषाएँ हैं उन परिभाषाओं को समझ लेना होगा साथ ही अनुवाद का विभिन्न क्षेत्रों में जो महत्त्व है उसे लेकर विचार-विमर्श होना जरूरी है।

३.३.१ अनुवाद का अर्थ एवं स्वरूप :

'अनुवाद' शब्द में निहित अर्थ और मूल अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। 'अनुवाद' शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो 'अनु' उपसर्ग तथा 'वाद' के संयोग से बना है। संस्कृत के 'वद्' धातु में 'घञ' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद'। 'वद्' धातु का अर्थ है 'बोलना या कहना' और 'वाद' का अर्थ हुआ 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'। 'अनु' उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवह्रत होता है। 'वाद' में यह 'अनु' उपसर्ग बनने वाला शब्द 'अनुवाद' का अर्थ हुआ - 'प्राप्त कथन को पुनः कहना' या किसी के कहने के बाद कहना।

'शब्दार्थ चिंतामणि' कोश में अनुवाद का अर्थ 'प्राप्तस्य पुनः कथने' अर्थात 'पहले कह गए अर्थ को फिर से कहना' दिया गया है।

प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा के समय से 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में भारतीय वाङ्मय में होता आ रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु द्वारा उच्चरित मंत्रों को शिष्यों द्वारा दोहराये जाने को 'अनुवचन' या 'अनुवाक्' भी कहा जाता था।

भर्तृहरि में अनुवाद का अर्थ दोहराना या पुनः कथन है -
'आवृत्तिरनुवादो वा'
जैमिनीय न्यायमाला में कहा गया है - 'ज्ञातस्य कथनमनुवादः'।
पाणिनी ने भी अपने 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया हैः 'अनुवादे चरणानाम्'।

'अष्टाध्यायी' को 'सिद्धान्त कौमुदी' के रूप में प्रस्तुत करने वाले भट्टोजि दीक्षित ने पाणिनी के सूत्र में प्रयुक्त 'अनुवाद' शब्द का अर्थ 'अवगतार्थस्य प्रतिपादनम्' अर्थात 'ज्ञात तथ्य की प्रस्तुति' कहा है।

'वात्सायन भाष्य' में 'प्रयोजनवान् पुनःकथन' अर्थात् पहले कही गई बात को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः कहना ही अनुवाद माना गया है।

इस प्रकार संस्कृत में अनुवाद शब्द का प्रयोग 'गुरु की बात का शिष्य द्वारा दुहराया जाना', 'पुनःकथन', 'ज्ञात को कहना', 'दुहराना' आदि।

संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन होते हुए भी हिन्दी में इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ। हिन्दी में आज अनुवाद शब्द का अर्थ उपर्युक्त अर्थो से भिन्न होकर केवल मूल-भाषा के अवतरण में निहित अर्थ या सन्देश की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में प्रतिस्थापन तक सीमित हो गया है।

पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी 'translation' शब्द, संस्कृत के 'अनुवाद' शब्द की भाँति, लैटिन शब्द 'trans' (पार) तथा 'lation' (ले जाना) के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है 'पार ले जाना' - यानी एक स्थान बिन्दु से दूसरे स्थान बिन्दु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिन्दु 'स्त्रोत-भाषा' या 'Source Language' है तो दूसरा स्थान बिन्दु 'लक्ष्य-भाषा' या 'Target Language' है और ले जाने वाली वस्तु 'मूल या स्त्रोत-भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। अतः 'अनुवाद का मूल अर्थ होता है - पूर्व में कथित बात को दोहराना, पुनरुक्ति या अनुवचन, जो बाद में पूर्वोक्त निर्देश की व्याख्या, टीका-टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त हुआ। परंतु आज 'अनुवाद' शब्द का अर्थ विस्तार होकर एक भाषा - पाठ (स्त्रोत-भाषा) के निहितार्थ, संदेशों, उसके सामाजिक-सांस्कृतिक तत्त्वों को यथावत् दूसरी भाषा (लक्ष्य-भाषा) में अंतरण करने का पर्याय बन चुका है।'

अतः 'अनुवाद में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में समान रूप से व्यक्त करना है।' अनुवाद की प्रक्रिया को निम्नलिखित परिभाषाओं से आसानी से समझा जा सकता है:

३.३.२ अनुवाद की परिभाषाएँ :

साधारणतः अनुवाद कर्म में हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अनुवाद कर्म के मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा प्रतिपादित अलग-अलग शब्दों में परिभाषित किया गया हैं। अनुवाद के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है:

ख) भारतीय चिन्तन

संस्कृत के कुछ प्रमुख विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार की है।

न्याय सूत्र :
'विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः। अर्थात 'विधि तथा विहित का पुनः कथन अनुवाद है'।

जैमिनीय न्यायमाला:
'ज्ञातस्य कथनमनुवादः।' अर्थात 'ज्ञात का कथन अनुवाद है।'

देवेन्द्रनाथ शर्मा :

'विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तरित करना अनुवाद है।'

डॉ. भोलानाथ तिवारी :

'किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषान्तरण करना अनुवाद है, दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथा सम्भव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है।'

पट्टनायक :

'अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव (अर्थपूर्ण सन्देश या सन्देश का अर्थ) को एक भाषा-समुदाय से दूसरी भाषा-समुदाय में सम्प्रेषित किया जाता है।'

विनोद गोदरे :

'अनुवाद, स्त्रोत-भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासम्भव मूल भावना के समानान्तर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य-भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है।'

रीतारानी पालीवाल :

'स्त्रोत-भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य-भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपान्तरित करने का कार्य अनुवाद है।'

दंगल झाल्टे :

'स्त्रोत-भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य-भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपान्तरण करना अनुवाद है।'

डॉ. सुरेश कुमार :

'एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबद्ध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत हो।'

बालेन्दु शेखर :

अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत् सम्प्रेषित करने की सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।

डॉ. विश्वनाथ अय्यर :

'अनुवाद की प्रविधि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। एक भाषा के रूप के कथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना भी अनुवाद है। छंद में बताई बात को गद्य में उतारना भी अनुवाद है।'

डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव :

"एक भाषा (स्त्रोत भाषा) की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा (लक्ष्य भाषा) में संगठनात्मक रूपांतरण ही अनुवाद है।"

क) पाश्चात्य चिन्तन :

(E.A. Nida & Taber)

Translating consists in producing in the receptor language the closet natural equivalent to the message of the source language. First in meaning and secondly in style.

ई. ए. नाइडा तथा टेबर :

'अनुवाद का तात्पर्य है स्त्रोत-भाषा में व्यक्त सन्देश के लिए लक्ष्य-भाषा में निकटतम सहज समतुल्य सन्देश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है फिर शैली के स्तर पर।'

जॉन कनिंगटन :

'लेखक ने जो कुछ कहा है, अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा, उसके निर्वाहय का भी प्रयत्न करना चाहिए।'

जे.सी. कैटफोर्ड :

'एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है।'

Translation is the replacement of textual material in one language by the equivalent textual material in another language.

सैमुएल जॉनसन :

'मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल लेना अनुवाद है।'

To Translate is to change into another language retaining the sense.

फॉरेस्टन :

'एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्त्वों को दूसरी भाषा में स्थानान्तरित कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यातव्य है कि हम तत्त्व या कथ्य को संरचना (रूप) से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं।'

हैलिडे :

'अनुवाद एक सम्बन्ध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है, ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य सम्पादित करते हैं।'

हार्टमन तथा स्टार्क :

‘एक भाषा का भाषा भेद से दूसरी भाषा के भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं।’

ए. एच. स्मिथ के अनुसार :

“अर्थ को बनाये रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण कहना अनुवाद है।”

न्यूमार्क :

‘अनुवाद एक शिल्प है, जिसमें एक भाषा में व्यक्त सन्देश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी सन्देश को प्रस्तु करने का प्रयास किया जाता है।’

मैथ्यू अर्नाल्ड :

‘अर्थतः अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा।’

A Translation should affect as in the same way as the original may be supposed to have affected its first hearers.

हर्टमन एवं स्टार्क :

“अर्थात् एक भाषा या भाषा सें दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं।”

Translation is the replacement of a representative of a text in one language by a representation of an equivalent text in a second language.

रॉजर टी. बेल :

अर्थात् मूल भाषा पाठ के अर्थ एवं शैली का अन्य भाषिक संस्कृति के अर्थ एवं शैली तत्वों में अंतरण ही अनुवाद है।

Translation is the expression in another language (or target language) of what has been expressed in another, source language, preserving semantic and stylistic equivalence.

रोमन जॉकबसन :

‘अर्थात् एक भाषा के मौखिक चिह्ननों का अन्य भाषा के द्वारा प्रतिपादन ही अनुवाद है।’

Translation is the interpretation of verbal signs by some other language.

अलेक्जेंडर फ्रे. टाइटलर :

अर्थात अनुवाद में मूल का सम्पूर्ण भाव समाहित होना चाहिए। अनुवाद की शैली तथा लेखन विधि मूल के जैसी होनी चाहिए। अनुवाद को मूल की तरह सहज होना चाहिए।

इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करते हुए अपने विचार रखे हैं। नाइडा ने अनुवाद में अर्थ पक्ष तथा शैली पक्ष, दोनों को महत्त्व देने के साथ-साथ दोनों की समतुल्यता पर भी बल दिया है। जहाँ नाइडा ने अनुवाद में मूल-पाठ के शिल्प की तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्त्व दिया है, वही कैटफोर्ड अर्थ की तुलना में शिल्प सम्बन्धी तत्त्वों को अधिक महत्त्व देते हैं। सैमुएल जॉनसन के अनुवाद में भावों की रक्षा की बात कही है, तो न्यूमार्क ने अनुवाद कर्म को शिल्प मानते हुए निहित सन्देश को प्रतिस्थापित करने की बात कही है। स्मिथ ने अर्थ को बनाते हुए अन्य भाषा में अंतरण और मैथ्यू ने अनुवाद के पश्चात पहले जैसे प्रभाव की बात कही है।

ई. ए. नाइडा, कैटफोर्ड, न्यूमार्क, स्मिथ, मैथ्यू तथा सैमुएल जॉनसन की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि एक भाषा पाठ में व्यक्त (निहित) सन्देश को दूसरी भाषा पाठ में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का परिणाम अनुवाद है।

३.३.३ अनुवाद का महत्त्व :

वर्तमान युग में अनुवाद का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। वैदिक युग के 'पुनः कथन' से लेकर आज के 'ट्रांसलेशन' तक आते-आते अनुवाद अपने स्वरूप और अर्थ में बदलाव लाने के साथ-साथ अपने बहुमुखी व बहुआयामी प्रयोजन को सिद्ध कर चुका है। प्राचीन काल में 'स्वांतः सुखाय' माना जाने वाला अनुवाद कार्य ने आज व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। आज विश्वभर में अनुवाद की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में अवश्य महसूस की जा रही है। और इस तरह अनुवाद आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से संबंध विकसित हुए हैं। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी का विकास भी इस काल में हो जाने के कारण विश्व भर के विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों में सम्पर्क की स्थिति उभर कर सामने आयी। बीसवीं शताब्दी में देशों के बीच की दूरियाँ कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक, औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ-साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है।

आज विश्व के अधिकांश देशों में एक प्रमुख भाषा के साथ-साथ अन्य कई भाषाएँ भी बोली जाती है। अतः विभिन्न भाषाभाषियों के बीच उन्हीं की अपनी भाषा में सम्पर्क स्थापित कर राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद एवं अनुवाद कार्य में अपना महत्त्व प्राप्त है। भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश के जन-समुदायों के बीच अनुवाद का बहुआयामी प्रयोजन हो रहा है।

चिंतन और व्यवहार के प्रत्येक स्तर तथा विश्व-संस्कृति के विकास में भी अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों के बीच भावात्मक एकता को कायम रखने में तथा नवीन ज्ञान-विज्ञान, शोध-चिंतन को आम जनता तक पहुँचाने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

अगर दूसरे देशों से संबंध बढ़ाने हैं तो हमें उन देशों की वैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी हम अनुवाद के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

साहित्य की अगर हम बात करें तो मराठी की कुछ प्रमुख साहित्य की कृतियाँ हिंदी में अनुवादित हो जाने के कारण हिन्दी साहित्य में दलित साहित्य विकसित हो चुका है। साथ ही विश्व की कुछ श्रेष्ठ कृतियों को अनुवाद के कारण ही सम्मान प्राप्त हुआ है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' को नोबेल पुरस्कार उनके द्वारा किए गए अनुवाद कार्य पर ही मिला। शेक्सपियर, बर्नाड शा, अरस्तू, मार्क्स, गोर्की आदि जैसे विश्व के महान दर्शनशास्त्रियों को हम विश्व स्तर पर अनुवाद के माध्यम से ही जानते हैं। भारतीय भाषाओं के लेखक भारत तक सीमित ना रहते हुए अनुवाद के कारण वह विश्व स्तर पर पहुंच चुके हैं। अनुवाद ने अपनी सीमित साहित्यिक परिधि को लाँघकर प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, चिकित्सा, कला, संस्कृति, अनुसंधान, पत्रकारिता, जनसंचार, दूरस्थ शिक्षा, प्रतिरक्षा, विधि, व्यवसाय आदि हर क्षेत्र में प्रवेश कर यह साबित कर दिया है कि अनुवाद समकालीन जीवन की अनिवार्यता है। अतः हम समाजिक क्षेत्रों में अनुवाद के महत्त्व की चर्चा करेंगे।

राष्ट्रीय एकता में अनुवाद का महत्त्व :

हमारा देश बहु भाषा-भाषी देश है। एक सौ तीस करोड़ जनसंख्या वाले देश में विभिन्न बोलियां एवं भाषाएं, विश्वासों एवं सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएँ एवं बोलियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत की अनेकता में एकता इन्हीं अर्थों में है कि, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, विभिन्न सम्प्रदायों एवं विभिन्न सम्प्रदायों एवं विभन्न विश्वासों के देश में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता कहीं भी बाधित नहीं होती। मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन से लेकर आज के छायावादी, प्रगतिशील आन्दोलन तक भारतीय साहित्य की दिशा देश भर में एक सी रही है। यह बात अनुवाद के द्वारा ही सम्भव हो सकी है।

सांस्कृतिक विकास में अनुवाद का महत्त्व :

अनुवाद को 'सांस्कृतिक सेतु' कहा गया है। मानव-मानव को एक दूसरे के निकट लाने में मानव जीवन को अधिक सुखी और सम्पन्न बनाने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 'भाषाओं की अनेकता' मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर, ज्ञान की दृष्टि से निर्धन और संवेदन शून्य भी बनाती है। 'विश्वबंधुत्व की स्थापना' एवं 'राष्ट्रीय एकता' को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

दुनिया के जिन देशों में विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों का मिलन हुआ है वहाँ सामाजिक संस्कृति के निर्माण में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुवाद की परम्परा के अध्ययन से पता चलता है कि ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व रोमन लोगों का ग्रीक के लोगों से सम्पर्क

हुआ जिसके फलस्वरूप ग्रीक से लैटिन में अनुवाद हुए। इसी प्रकार ग्यारहवीं, बारहवीं शताब्दी में स्पेन के लोग इस्लाम के सम्पर्क में आए और बड़े पैमाने पर युरोपीय भाषाओं में अरबी का अनुवाद हुआ। आज की भारतीय संस्कृति जिसे हम सामासिक संस्कृति कहते हैं उसके निर्माण में हजारों वर्षों के विभिन्न धर्मों, मतों एवं विश्वासों की साधना छिपी हुई है। इन सभी मतों एवं विश्वासों को आत्मसात कर जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है उसके पीछे अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

साहित्यिक विकास में अनुवाद का महत्त्व :

साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूरदराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। 'भारतीय साहित्य' की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना ज़रुरी है कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं।

साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्त्व आज व्यापक हो गया है। साहित्य यदि जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश या विश्व की चिन्तन-धारा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है।

भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न साहित्यक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आन्दोलनों में हिन्दी एवं हिन्दी तर भाषा के साहित्यकारों का स्वर प्रायः एक जैसा रहा है। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन, दलित साहित्य तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रायः सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है।

अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुनिया के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य में ज्ञान का विपुल भण्डार छिपा हुआ है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का अनुवाद तो भारत में सूफियों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रचलन के साथ ही शुरु हो गया था; किन्तु इसे व्यवस्थित स्वरूप आधुनिक युग में ही प्राप्त हुआ। बुद्ध तत्त्वज्ञान भी अनुवादित होने के कारण उनके अनुयायी विश्वभर में है। शेक्सपियर, डी.एच. लॉरेंस, मोपासाँ तथा सार्त्र जैसे चिन्तकों की रचनाओं के अनुवाद से भारतीय जनमानस का साक्षात्कार हुआ एवं कालिदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रेमचन्द की रचनाओं से विश्व प्रभावित हुआ।

दुनिया के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि देश, काल और समय की भिन्नता के बावजूद विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों के साहित्य में साम्य और वैषम्य क्यों है। अनुवाद के द्वारा ही जो तुलनीय है वह तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनता है। प्रेमचन्द और गोर्की, निराला और इलियट आदि विभिन्न साहित्यकारों के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका।

व्यवसायिक विकास में अनुवाद का महत्त्व :

वर्तमान युग में अनुवाद ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जहाँ इज्जत, शोहरत एवं पैसा तीनों हैं। आज अनुवादक की अपनी मौलिक पहचान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के

पश्चात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हुए विकास के साथ भारतीय परिदृश्य में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियान्त्रिकी और व्यापार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद को महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन करता है। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में राजभाषा प्रभाग की स्थापना हुई जहाँ अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी अधिकारी कार्य करते हैं। आज रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे है। प्रति सप्ताह अनुवाद से सम्बन्धित जितने पद यहाँ विज्ञापित होते हैं अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुवाद का महत्त्व :

देश-विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन-कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एक मात्र साधन है। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सभी तक पहुँचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जनसंचार माध्यमों में अनुवाद का महत्त्व :

जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। इन जनसंचार माध्यमों में मुख्य हैं समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि। ये अत्यन्त लोकप्रिय जनसंचार माध्यम है, और हर भाषा-प्रदेश में इनकी आवश्यकता महसूस हो रही है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन २२ भाषाओं में खबरें प्रसारित होती हैं। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है।

संचार माध्यमों में गतिशीलता बढ़ाने का कार्य अनुवाद द्वारा ही सम्भव हो सका है तथा गाँव से लेकर महानगरों तक जो भी अद्यतन सूचनाएँ हैं वे अनुवाद के माध्यम से एक साथ सभी तक पहुँच रही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि अनुवाद ने आज पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया है।

औद्योगीकीकरण एवं जनसंचार के माध्यमों में हुए अत्याधुनिक विकास ने विश्व की दिशा ही बदल दी है। औद्योगिक उत्पादन, वितरण तथा आर्थिक नियन्त्रण की विभिन्न प्रणालियों पर पूरे विश्व में अनुसंधान हो रहा है। इस क्षेत्र में होने वाले अद्यतन विकास को विभिन्न भाषा-भाषी राष्ट्रों तक पहुँचाने में भाषा एवं अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों को तीव्र गति से पूरे विश्व में पहुँचा देने का श्रेय अद्यतन विकसित जनसंचार के माध्यमों तथा सोशल मीडिया को है। आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि तथा व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में जो कुछ भी नया होता है वह कुछ ही पलों में टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स तथा सोशल मीडिया जैसी तकनीकों के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित हो जाता है। आज जनसंचार तथा सोशल मीडिया के माध्यमों में होने वाले विकास ने हिन्दी भाषा के प्रयुक्ति-क्षेत्रों को विस्तृत कर दिया है।

सरकारी कार्यालयों में अनुवाद का महत्त्व :

आज़ादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद ज़रूरी हो गया। इसी के मद्देनज़र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेज़ों का अनुवाद तेजी से हो रहा है।

अदालतों की भाषा प्राय: अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकद्दमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किन्तु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी-बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है।

शैक्षिक विकास में अनुवाद का महत्त्व :

भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश के शिक्षा-क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन नकार सकता है। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद बहुत ज़रूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य-सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती है। हिन्दी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सभी ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद तो हो ही रहा है, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञान-सम्पदा को रूपान्तरित किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में अनुवाद का महत्त्व :

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अनुवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्राय: सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजूदतों को कई भाषाएँ बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शान्ति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

३.४ सारांश

अनुवाद के अर्थ एवं स्वरूप को लेकर विवेचन किया गया है।

पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं को प्रस्तुत किया गया है।

लगभग सभी परिभाषाओं में अनुवाद प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

इन सभी परिभाषाओं के आधार पर 'अनुवाद' को परिभाषित किया गया है।

'अनुवाद अर्थात मूल-भाषा में निहित सामग्री को समान रूप में लक्ष्य-भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही अनुवाद है।'

अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, चिकित्सा, कला, संस्कृति, अनुसंधान, पत्रकारिता, जनसंचार, दूरस्थ शिक्षा, प्रतिरक्षा, विधि, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में अनुवाद को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

३.५ अभ्यास प्रश्न

१. अनुवाद की परिभाषा देते हुए उसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
२. अनुवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्त्व को रेखांकित कीजिए।

३.६ लघुत्तरीय प्रश्न

१) पाणिनी ने अपने किस ग्रंथ में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है।
उत्तर - 'अष्टाध्यायी'

२) 'अष्टाध्यायी' को सिद्धांत कौमुदी के रूप में प्रस्तुत करने वाले विद्वान है ?
उत्तर - भट्टोजी दिक्षित

३) 'अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में सम्प्रेषित किया जाता है ? यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है ?'
उत्तर - पट्टनायक

४) अनुवाद को अँग्रेजी में क्या कहेंगे ?
उत्तर - Translation

५) ट्रांसलेशन शब्द किस भाषा का है ?
उत्तर - लेटिन

३.७ सहायक ग्रंथ

अनुवाद विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।
व्यवहारिक हिंदी - डॉ. माधव सोनटक्के, छाया पब्लिशिंग हाऊस, औरंगाबाद।

❖❖❖❖

४

अनुवाद के भेद

इकाई की रूपरेखा :

४.१ इकाई का उद्‌देश्य
४.२ प्रस्तावना
४.३ विषय विवेचन
 ४.३.१ अनुवाद के विभन्न भेद
 ४.३.२ शब्दानुवाद
 ४.३.३ भावानुवाद
 ४.३.४ सारानुवाद
४.४ सारांश
४.५ अभ्यास प्रश्न
४.६ लघुत्तरीय प्रश्न
४.७ सहायक ग्रंथ

४.१ इकाई का उद्‌देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप -

४. अनुवाद के भेदों-प्रभेदों से परिचित हो जाएंगे।
५. शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद से परिचित हो जाएंगे।
६. अनुवाद के विभिन्न भेदों, उप भेदों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
७. अनुवाद के प्रकारों के आधार पर अनुवाद की प्रकृति को समझ सकेंगे।

४.२ प्रस्तावना

अनुवाद को कला और विज्ञान दोनों ही रूपों में स्वीकारने की मानसिकता इसी कारण पल्लवित हुई है कि संसार भर की भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद की कोशिश अनुवाद की अनेक शैलियों और प्रविधियों की ओर इशारा करती हैं। अनुवाद की एक भंगिमा तो यही है कि किसी रचना का साहित्यिक-विधा के आधार पर अनुवाद उपस्थित किया जाए। यदि किसी नाटक का नाटक के रूप में ही अनुवाद किया जाए तो ऐसे अनुवादों में अनुवादक की अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का वैशिष्ट्य भी अपेक्षित होता है। अनुवाद का एक आधार अनुवाद के गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक होने पर भी आश्रित है। ऐसा पाया जाता है कि अधिकांशतः गद्य का

अनुवाद गद्य में अथवा पद्य में ही उपस्थित हो, लेकिन कभी-कभी यह क्रम बदला हुआ नजर आता है। कई गद्य कृतियों के पद्यानुवाद मिलते हैं, तो कई काव्यकृतियों के गद्यानुवाद भी उपलब्ध हैं। अनुवादों को विषय के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है और कई स्तरों पर अनुवाद की प्रकृति के अनुरुप उसे मूल केंद्रित और मूलमुक्त दो वर्गों में भी बाँटा गया है।

अनुवाद के जिन सार्थक और प्रचलित प्रभेदों का उल्लेख अनुवाद विज्ञानियों ने किया है, उनमें शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशु अनुवाद और रूपांतरण को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है।

४.३ विषय विवेचन

अनुवाद को कला और विज्ञान दोनों ही रूपों में स्वीकारने की मानसिकता इसी कारण पल्लवित हुई है कि संसारभर की भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद की कोशिश अनुवाद की अनेक शैलियों और प्रविधियों की ओर इशारा करती है। अनुवाद की एक भंगिमा तो यही है कि किसी रचना का साहित्यिक-विधा के आधार पर अनुवाद उपस्थित किया जाए। यदि किसी नाटक का नाटक के रुप में ही अनुवाद किया जाए तो ऐसे अनुवादों में अनुवादक की अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का वैशिष्ट्य भी अपेक्षित होता है। अनुवाद का एक आधार अनुवाद के गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक होने पर भी आश्रित है। ऐसा पाया जाता है कि अधिकांशतः गद्य का अनुवाद गद्य में और पद्य का पद्य में ही उपस्थित हो, लेकिन कभी-कभी यह क्रम बदला हुआ नजर आता है। कई गद्य कृतियों के पद्यानुवाद मिलते हैं, तो कई काव्यकृतियों के गद्यानुवाद भी उपलब्ध हैं। अनुवादों को विषय के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है और कई स्तरों पर अनुवाद की प्रकृति के अनुरुप उसे मूलकेंद्रित और मूलमुक्त दो वर्गो में भी बाँटा गया है। अनुवाद के जिन सार्थक और प्रचलित प्रभेदों का उल्लेख अनुवाद विज्ञानियों ने किया है, उनमें शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशुअनुवाद और रूपांतरण को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है।

४.३.१ अनुवाद के भेद :

अनुवाद की प्रक्रिया, सामग्री तथा उद्देश्य के आधार पर अनुवाद के कई रूप हो सकते हैं। विद्वानों ने इनमें से कोई एक या सभी आधारों के सहारे विविध अनुवाद रूपों को अनुवाद भेद या प्रकारों की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अनुवाद के कई भेदों का विवेचन किया है। डॉ. जी. गोपीनाथन जी ने विषय वस्तु तथा प्रकृति के आधार पर अनुवाद के भेदोंपभेदों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

अ) विषय के आधार पर

१) साहित्य का अनुवाद : जीवनी, निबंध, आलोचना आदि का अनुवाद।

२) साहित्येतर अनुवाद : भाषा वैज्ञानिक, तकनीकी, वाणिज्यिकी, समाजशास्त्री, संचार माध्यमों, कानूनी तथा प्रशासनिक अनुवाद।

आ)अनुवाद प्रकृति के आधार पर निम्न पदोंपभेद हो सकते हैं।

क) बाह्याधार

१) गद्यत्व-पद्यत्व : गद्यानुवाद - पद्यानुवाद
२) साहित्यिक विधा : कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य
३) साहित्येतर विषय : सूचना प्रधान अथवा कार्यालयी साहित्य

ख) आंतरिक आधार

१) मूलनिष्ठ!) शब्दानुवाद : शब्दक्रमाग्रही, शब्दाग्रही, सम्यकाग्रही!!) सहजानुवाद
२) मूलाश्रित : छायानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्या अनुवाद, रूपांतरण, विधांतरण, प्रीति अनुवाद, अनुसृजन

इन में से आंतरिक आधार पर जो भेद है वह प्रमुख भेद हैं उन भेदों का संक्षेप में विवेचन निम्न प्रकार दिया जा रहा है।

४.३.२ शब्दानुवाद :

स्रोत-भाषा के शब्द एवं शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य-भाषा में रूपान्तरित करना शब्दानुवाद कहलाता है। यहाँ अनुवादक का लक्ष्य मूल-भाषा के विचारों को रूपान्तरित करने से अधिक शब्दों का यथावत् अनुवाद करने से होता है। शब्द एवं शब्द क्रम की प्रकृति हर भाषा में भिन्न होती है। अतः यांत्रिक ढंग से उनका यथावत अनुवाद करते जाना काफ़ी कृत्रिम, दुर्बोध्य एवं निष्प्राण हो सकता है। शब्दानुवाद उच्च कोटि के अनुवाद की श्रेणी में नहीं आता।

यह शब्द + शब्द अनुवाद से बना है। मोटे रूप में इस प्रकार के अनुवाद में मूल के हर शब्द पर अनुवादक का ध्यान जाता है। शब्द अनुवाद का प्रयोग एक से अधिक प्रकार के विवादों के लिए होता रहा है। इसलिए इसके कई उपभेद किए जा सकते हैं। अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन, बर्बल ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आदि इसी को कहते हैं। शब्द अनुवाद के मुख्य उपभेद तीन हो सकते हैं।

अ) जिसमें मूल सामग्री की हर शब्दाभिव्यक्ति का प्रायः उसी क्रम में अनुवाद किया जाए। जैसे एम गोइंग टू होम I am going to home का 'मैं हूँ जा रहा घर' बाइबिल की पुरानी पोथी के कई यूनानी अनुवाद लगभग इसी प्रकार के किए गए थे। अनुवाद का यह निकृष्टतम रूप माना जाता है। कभी-कभी ऐसा शब्दानुवाद पूर्णतः अबोधगम्य हो जाता है, क्योंकि हर भाषा में शब्द-क्रम एक जैसा नहीं होता। वस्तुतः इस प्रकार का 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' अनुवाद 'अनुवाद' कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण हो सकते हैं। 'मेरा सिर चक्कर खा रहा है।' My head is eating circles; 'वह पानी-पानी हो गया' He became water and water भिन्न होते हुए भी यह प्रायः उसी श्रेणी में है।

ब) ऐसा अनुवाद जिसमें क्रम आदि तो मूल का नहीं रखते किंतु मूल के हर शब्द का अनुवाद में पूरा ध्यान रखते हैं और इसीलिए मूल की शैली अनुवाद में स्पष्ट झलकती है। हिंदी अखबारों में अंग्रेजी से किए गए अनुवादों में ऐसे उदाहरण प्रायः मिलते हैं। कुछ उदाहरण है - The insects called silver fish 'कीड़े जो रजत मछली कहलाते हैं।' सिल्वर फिश वस्तुतः कोई मछली नहीं होती। यह एक चमकीले कीड़े का नाम है। There is a custom among'st the Red Indians… लाल भारतीयों में एक रिवाज हैं। बत्ती जलाओ Burn the lamp उसने मैच में दो

गोल किए। He made two goals in the match फूल मत तोड़ो don’t break flowers आदि। इस प्रकार शब्द अनुवाद पहले प्रकार के शब्द अनुवाद जितने घटिया ना होने पर भी घटिया ही कहे जाएंगे। इनका अर्थ पहले की तरह अस्पष्ट तो नहीं रहता, किंतु लक्ष्य भाषा की सहज प्रकृति इनमें नहीं आ पाती, बल्कि स्त्रोत भाषा की शैलीय छाया लक्ष्य भाषा पर बुरी तरह छाई रहती है, अतः सहज प्रयोग की दृष्टि से ऐसे अनुवाद गलत तथा हास्यास्पद होते हैं।

क) शब्द अनुवाद का तीसरा रूप वह है जिसे उत्तम कोटि का या आदर्श शब्दानुवाद कहा जा सकता है। इसमें मूल के प्रत्येक शब्द बल्कि प्रत्येक अभिव्यक्ति इकाई जैसे पद, पदबंध, मुहावरा, लोकोक्ति, उपवाक्य, वाक्य के लक्ष्य भाषा में प्राप्त पर्याय के आधार पर अनुवाद करते हुए मूल के भाव को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाता है। इसमें किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति काय की अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरे शब्दों में अनुवादक ना तो मूल की कोई अभिव्यक्ति इकाई छोड़ सकता है, ना अपनी ओर से कोई अभिव्यक्ति इकाई जोड़ सकता है। संक्षेप में शब्दानुवादक के लिए मैं एक सूत्र देना चाहूंगा, शब्द के स्तर पर मत छोड़ो मत जोड़ो उदाहरणार्थ द बॉय हु फेल फ्रॉम द फ्री डाइड इन द हॉस्पिटल का शब्दानुवाद होगा ‘वह लड़का जो पेड़ से गिरा था अस्पताल में मर गया’ हिंदी की प्रकृति के अनुकूल और अच्छा शब्दानुवाद होगा। ‘पेड़ से गिरने वाला लड़का अस्पताल में मर गया’ इस प्रकार का शब्दानुवाद ऐसी सामग्री के अनुवाद में बहुत सफल नहीं हो सकता। जिसमें सूक्ष्म भाव का शहरी प्रधान चित्रण हो, किंतु तथ्यात्मक मांग से जैसे गणित ज्योतिष संगीत विज्ञान विधि आदि के लिए तो इस प्रकार का शब्द अनुवाद ही अपेक्षित है। मुख्यतः विधि साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद ही माना जाएगा। आवाज नहीं क्योंकि उसमे हर शब्द का अपना महत्त्व होता है, और कानूनी गहराई में जाने पर उसकी अपनी सार्थकता होती है।

स्त्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्यभाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत् अनुवादन को शब्दानुवाद कहते हैं। ‘मक्षिका स्थाने मक्षिका’ पर आधारित शब्दानुवाद वास्तव में अनुवाद की सबसे निकृष्ट कोटि का परिचायक होता है।

प्रत्येक भाषा की प्रकृति अन्य भाषा से भिन्न होती है और हर भाषा में शब्द के अनेकानेक अर्थ विद्यमान रहते हैं। इसीलिए मूल भाषा की हर शब्दाभिव्यक्ति को यथावत् लक्ष्यभाषा में नहीं अनुवादित किया जा सकता। कई बार ऐसे शब्दानुवादों के कारण बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संस्कृत से हिंदी में किये गये अनुवाद को कई बार प्रकृति की साम्यता के कारण सह्य होते हैं, लेकिन यूरोपीय परिवार की भाषाओं से किये गए अनुवाद में अर्थ और पदक्रम के दोष सामान्यतः नजर आते हैं। वास्तव में यदि स्त्रोत और लक्ष्यभाषा में अर्थ, प्रयोग, वाक्य-विन्यास और शैली की समानता हो, तभी शब्दानुवाद सही होता है, अन्यथा यंत्रावत् किये गए शब्दानुवाद अबोधगम्य, हास्यास्पद एवं कृत्रिम हो जाते हैं।

४.३.३ भावानुवाद :

साहित्यिक कृतियों के सन्दर्भ में भावानुवाद का विशेष महत्त्व होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल-भाषा के भावों, विचारों एवं सन्देशों को लक्ष्य-भाषा में रूपान्तरित किया जाता है। इस सन्दर्भ में भोलानाथ तिवारी का कहना है : ‘मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं।’ भावानुवाद में सम्प्रेषणीयता सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। भावानुवाद शब्दानुवाद के ठीक विपरीत होता है। इसमें अनुवादक मूल सामग्री के शब्दार्थ पर ध्यान न देकर

मूल विषय के भावों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें अनुवादक का लक्ष्य स्त्रोत-भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अर्थों का लक्ष्य-भाषा में अन्तरण करना होता है। संस्कृत साहित्य में लिखे गए कुछ ललित निबन्धों के हिन्दी अनुवाद बहुत ही सफल सिद्ध हुए हैं।

जहां शब्दानुवाद करना असंभव हो जाता है। या शब्दानुवाद बेढंगा या हास्यास्पद होने लगता है, वहां भावानुवाद ही किया जाता है।

इसके लिए अनुवादक स्त्रोत सामग्री के कलात्मक सौंदर्य में न उलझ कर सिर्फ उसके कथ्य के अनुवाद की संपूर्णता और सहजता का प्रयत्न करता है। इसीलिए इसके अर्थ के लिए इसे (सेंस फोर सेंस) अनुवाद भी कहा जाता है।

सर्जनात्मक साहित्य का अनुवाद करने के लिए यह उचित होता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि सर्जनात्मक लेखन की क्षमता रखनेवाला अनुवादक ही इसमें सफल हो पाता हैं। यही इसकी कमी भी है कि अनुवादक मूल कृति से कुछ आजादी लेकर अपनी इच्छा से लिखता है। इससे मूल रचना का भाषिक सौंदर्य एवं शिल्पगत विशेषताओं का पता इस तरह के अनुवाद से नहीं चलता है।

गणित, विज्ञान, विधि आदि की सामग्री का भावानुवाद दोषपूर्ण होगा। क्योंकि यह तथ्यात्मक नहीं होगा। ऐसे अनुवादकों में स्त्रोत-भाषा के शब्द, पदक्रम और वाक्य-विन्यास पर ध्यान न देकर अनुवाद मूलभाषा की विचार-सामग्री या भावधारा पर अपने आपको केंद्रित करता है। ऐसे अनुवादों में स्त्रोतभाषा की भाव-सामग्री को उपस्थित करना ही अनुवादक का लक्ष्य होता है।

भावानुवाद की प्रक्रिया में कभी-कभी मूल रचना जैसा मौलिक वैभव आ जाता है, लेकिन कई बार पाठकों को यह शिकायत होती है कि अनुवादक ने मूलभाषा की भावधारा को समझे बिना, लक्ष्य-भाषा की प्रकृति के अनुरूप भाव सामग्री प्रस्तुत कर दी है। जब पाठक किसी रचना को रचनाकार के अभिव्यक्ति-कौशल की दृष्टि से पढ़ना चाहता है, तो भावानुवाद उसकी लक्ष्य सिद्धि में सहायक नहीं होता।

४.३.४ सारानुवाद :

स्त्रोत भाषा की मूल सामग्री का सार तत्त्व ग्रहण करते हुए किया जाने वाला अनुवाद 'सारानुवाद' कहलाता है। अंग्रेजी में इसे समरी ट्रांसलेशन या जिस्ट ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। सारानुवाद संक्षिप्त, अति संक्षिप्त, अत्यंत संक्षिप्त आदि कई प्रकार का हो सकता है।

इसमें अनुवादक मूल की सभी बातों को ठीक उसी रूप में अनुदित नहीं करता, बल्कि मूल पाठ को पूरा पढ़कर उसका सारांश ही इसमें दिया जाता है। अनुवादक स्त्रोत भाषा में कही हुई बात के मुख्य अर्थ को ग्रहण कर सार प्रस्तुत करता है। वह कथ्य के मुख्य बिंदुओं को पहचान कर लक्ष्य भाषा में सहज स्वाभाविक रूप में प्रतिपादित करता है। मूल की संक्षिप्त रूप में प्रस्तुति की जाती है इसमें विस्तार की कोई अनुमति नहीं होती है।

इस अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि, कम समय में विस्तृत सामग्री से परिचय हो जाता है। प्रतिष्ठित वकील अपने सहायक वकीलों द्वारा संक्षेप में मामलों की जानकारी

लेते हैं। सरलता, संक्षिप्तता, स्पष्टता तथा लक्ष्य भाषा के स्वाभाविक सहज प्रभाव के कारण व्यवहारिक कार्यों के सामान्य अनुवाद की तुलना में 'सारानुवाद' अधिक उपयोगी पाया गया है।

भारतीय संसद, विधान मंडल में वाद-विवादों का जो अनुवाद किया जाता है, वह अनुवाद प्रायः सारानुवाद ही होता है। सरकारी गैर सरकारी संगठनों, जनसभा, संगोष्ठी एवं सम्मेलन, न्यायालयीन कामकाज आदि का सारानुवाद ही किया जाता है। विशेषतः दूभाषिया इसी प्रकार के अनुवाद का सहारा लेता है।

इस अनुवाद में मूलभाषा की सामग्री का संक्षिप्त और अतिसंक्षिप्त अनुवाद लक्ष्यभाषा में किया जाता है। लंबे भाषणों के अनुवाद प्रस्तुत करने में यह विधि सहायक होती है। सारानुवाद का सर्वाधिक प्रयोग पत्रकारिता, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंचार माध्यमों में किया जाता है। समाचार पत्रों में हिंदी में समाचार प्रस्तुति करते समय अंग्रेजी सामग्री का सारानुवाद किया जाता है।

इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि, इसमें मूल की समग्र सामग्री नहीं आ जाती है। स्त्रोत भाषा के केवल मुख्य बातों का चयन करते समय बहुत कुछ छूट जाता है।

४.४ सारांश

कौशल भी है और अन्तिम विश्लेषण में पूर्णतः सन्तोषजनक अनुवाद हमेशा एक कला रहा है। परन्तु डॉ. नगेन्द्र अनुवाद को एक स्वतंत्र विधा मानते हैं। उनका कहना है : 'अनुवाद पारिभाषिक अर्थ में न विज्ञान है और न कला। इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से शिल्प भी कहना तर्कसंगत नहीं होगा। वास्तविक स्थिति यह है कि आधार विषय के अनुसार अनुवाद में इन तीनों के ही तत्त्वों का यथानुपात समावेश रहता है। साहित्यिक अनुवाद विशेष रूप से काव्यानुवाद का अन्तर्भाव जहाँ कला की परिधि में ही हो जाता है, वहाँ वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अनुवाद में विज्ञान के आधार तत्त्वों का प्राधान्य रहता है जबकि शिल्प का प्रयोग प्रायः सर्वत्र ही मिलता है। इस प्रकार अनुवाद एक स्वतंत्र विधा है।' निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुवाद में कला, विज्ञान और शिल्प तीनों विधाओं के तत्त्व अंशतः विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों मे, अनुवाद के विश्लेषण में वैज्ञानिकता है, उसकी सिद्धि में कलात्मकता जिसके लिए आवश्यकता होती है शिल्पगत कौशल की अनुवादक के इन प्रभेदों से ज्ञापित होता है कि संसार भर की भाषाओं में अनुवाद की कई शैलियाँ और प्रविधियाँ अपनाई गई हैं, लेकिन यदि अनुवादक सावधानी पूर्वक शब्द और भाव की आत्मा का स्पर्श करते हुए मूलभाषा की प्रकृति के अनुरूप लक्ष्यभाषा में अनुवाद उपस्थित करे तो यही आदर्श अनुवाद होगा। इसीलिए श्रेष्ठ अनुवादक को ऐसा कुशल चिकित्सक कहा जाता है, जो बोतल में रखी दवा को अपनी सिरिंज के द्वारा रोगी के शरीर में यथावत पहुँचा देता है।

४.५ अभ्यास प्रश्न

१. अनुवाद के विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालिए।
२. शब्दानुवाद एवं भावानुवाद को स्पष्ट कीजिए।
३. भावानुवाद एवं सारानुवाद का विवेचन कीजिए।

४.६ लघुत्तरीय प्रश्न

१) विषय के आधार पर अनुवाद के कितने भेद है ?
उत्तर - दो भेद है - १) साहित्यिक, २) साहित्येत्तर

२) प्रकृति के आधार पर अनुवाद के कितने भेद है ?
उत्तर - दो भेद है - १) बाह्याधार, २) आतंरिक आधार

३) तकनीकि अनुवाद कौनसे भेद के अंतर्गत आता है ?
उत्तर - साहित्येतर

४) शब्द एवं शब्दक्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपान्तरित करना किस प्रकार के अनुवाद में आता है ?
उत्तर - शब्दानुवाद

५) स्त्रोत भाषा की मूल सामग्री का सार तत्व ग्रहण करते हुए किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है ?
उत्तर - सारानुवाद

४.७ सहायक ग्रंथ

अनुवाद विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।
व्यवहारिक हिंदी - डॉ. माधव सोनटक्के, छाया पब्लिशिंग हाऊस, औरंगाबाद।
अनुवाद की प्रक्रिया और परिदृश्य - डॉ. रीतारानी पालीवाल, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

❖❖❖❖

५

विज्ञापन - अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, विशेषताएँ, विज्ञापन की भाषा

इकाई की रूपरेखा :

५.१ इकाई का उद्देश्य
५.२ प्रस्तावना
५.३ विषय विवेचन
    ५.३.१ विज्ञापन का अर्थ
    ५.३.२ विज्ञापन की परिभाषा
    ५.३.३ विज्ञापन का स्वरूप
    ५.३.४ विज्ञापन की भाषा
    ५.३.५ विज्ञापन की विशेषताएँ
५.४ सारांश
५.५ बोध प्रश्न
५.६ लघुत्तरीय प्रश्न
५.७ सहाय्यक पुस्तकें

५.१ इकाई का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी निम्नलिखित मुद्दों से परिचित हो सकेंगे।

८. विज्ञापन का अर्थ जान सकेंगे।
९. विज्ञापन की परिभाषा का अध्ययन कर सकेंगे।
१०. विज्ञापन के स्वरूप से अवगत हो सकेंगे।
११. विज्ञापन की विशेषताओं से परिचित होंगे।
१२. विज्ञापन की भाषा के विषय में जान सकेंगे।

५.२ प्रस्तावना

औद्योगिकी आय का प्रमुख साधन है। औद्योगिकीकरण में प्रमुखतः उत्पादन और उपभोक्ता की माँग को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाता है। उत्पादन की गई वस्तुएँ उपभोक्ता तक उसकी जानकारी और आवश्यकता के बारे में बताना विज्ञापन का प्रमुख कार्य है। आज

तकनीकि के प्रगतिशील युग में संचार माध्यमों जैसे टेलिविजन, रेडियो, मोबाईल आदि ने विज्ञापन जगत में भी क्रांति ला दी है। विज्ञापन एक प्रमुख और विस्तृत क्षेत्र बन गया है और उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम भी।

५.३ विषय विवेचन

५.३.१ विज्ञापन का अर्थ :

जैसा कि हम जानते है, विज्ञापन को अँग्रेजी में Advertising कहते है। Advertising शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है, ऐसा माना जाता है। Advertising का शाब्दिक अर्थ है to turn is जिसे हिन्दी में 'मोड़ना' जिससे अर्थ निकलता है। ग्राहकों को विशेष वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उन वस्तुओं और सेवाओं की और मोड़ने से है। जिसके द्वारा नये ग्राहकों को जोड़ा और पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाया जा सकता है।

हिन्दी में विज्ञापन शब्द 'वि' और ज्ञापन शब्द से मिलकर बना है जिससे अभिप्राय है 'विशिष्ट' अतः विज्ञापन का अर्थ है "विशिष्ट सूचना" आज के युग में "विज्ञापन" उद्योग-व्यापार को बढ़ाने वाला सशक्त माध्यम माना जाता है।

५.३.२ विज्ञापन की परिभाषा :

पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों ने विज्ञापन को इस प्रकार परिभाषित किया है।

१) द न्यू एनसाईक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका :

'विज्ञापन संप्रेषण का वह प्रकार है जो कि उत्पादक अथवा कार्य को उन्नत करने जनमत को प्रभावित करने, राजनैतिक सहयोग प्राप्त करने, एक विशिष्ट कारण को आगे बढ़ाने अथवा विज्ञापन दाता द्वारा कुछ इच्छित प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है।'

२) फ्रेंक प्रेस्ब्री के अनुसार :

'मुद्रित, लिखित, मौद्रिक अथवा रेखाचित्रित विक्रय, कला विज्ञापन है।'

३) एनसाईक्लोपीडिया अमेरिकन :

'विज्ञापन दृष्टिगत तथा मौखिक सूचनाओं को भुगतान प्राप्त माध्यमों द्वारा प्रचारित करता है जिससे व्यक्ति जागरूक तथा उत्पादित वस्तु, व्यापार, चिन्ह, वस्तु उपयोगिता, संस्था विचार अथवा दृष्टिकोण के प्रति सहमति रखते है।'

४) अमेरिकन मार्केटिंग एसोसियेशन :

'विज्ञापन, सार्वजनिक रूप से वस्तुओं, उनकी उपयोगिता अथवा क्रिया हे तु विचार प्रस्तुत करने का एक प्रकार है।'

५) व्हीलर के अनुसार :

'विज्ञापन लोगों को क्रय करने के उद्देश्य से विचारो, वस्तुओं, सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतीकरण है, जिसके लिए भुगतान किया जाता है।'

६) वृहत् हिन्दी कोश :

'वृहत् हिन्दी कोश में विज्ञापन के पर्यायवाची रूप में समझना, सूचना देना, इश्तहार, निवेदन करना आदि शब्द दिए गए है।'

७) डॉ. नगेन्द्र के अनुसार :

'परचे, परिपत्र, पोस्टर अथवा पत्र-पत्रिकाओं द्वारा सार्वजनिक घोषणा करना तथा किसी वस्तु के वास्तविक अथवा काल्पनिक अथवा आरोपित गुणों का प्रचार करना, विज्ञापन कहा जाता है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि विज्ञापन एक उत्पादक द्वारा की गई उत्पादित वस्तु और उपभोक्ता के बीच का वह माध्यम है जिससे उपभोक्ता को उस वस्तु की जानकारी, लाभ और आवश्यकताओं का पता चल सके। विज्ञापन दृश्य लिखित या मौखिक अवैयक्तिक संदेशों में नीहित है जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। इसे ज्ञापित करने हेतु पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, ट्रक, बस, रेलगाडी, बड़ी खाली दीवारे और अन्य कई माध्यमों से जनता तक पहुँचाया जा सकता है।

५.३.३ विज्ञापन का स्वरूप :

विज्ञापन आज के समय का इतना प्रचलित माध्यम बन गया है कि इस शब्द से गाँव, कस्बे और शहर के सभी लोग परिचित है। क्योंकि आज सर्वत्र विज्ञापन की महत्ता और साम्राज्य स्थापित है। इसकी व्यापकता और सार्वभौमिकता इतनी अधिक है कि हमें कहीं भी विज्ञापन नजर आ जाते है फिर वह रास्ते पर चलते समय दीवारों पर, या रेडियों के माध्यम से हम इन्हें सुन सकते है वही घर में टेलिविजन देखते समय तो किसी कार्यक्रम से अधिक विज्ञापनों का प्रमाण हम देख सकते है। जब सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाते है वहाँ भी सिनेमा के पर्दे पर विज्ञापन देखने मिल जाते है। यहाँ तक कि बस के बाहर और बस के अंदर भी हम विज्ञापन देख सकते है। विज्ञापन की व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि आज कल वर-वधु ढूँढ़ने के लिए भी विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है और नौकरी पाने के लिए और देने के लिए भी विज्ञापन ही उपयुक्त माध्यम माना जाता है। राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं है। चुनाव प्रचार हो या किसी धर्म का प्रचार हो विज्ञापन के बिना सब अधूरा है।

विज्ञापन अब संचार का सशक्त माध्यम बन गया है। क्योंकि विज्ञापन की गतिविधियाँ और आकर्षकता हर एक क्षेत्र और हर एक व्यक्ति तक पहुँच चुकी है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में विज्ञापन शक्तिशाली औजार के रूप में कार्य कर रहा है। कोई भी विक्रेता ग्राहक तक पहुँचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना ही सबसे आसान तरीका मानते है। विज्ञापन की बहुमुखी दिशा उसकी महत्ता ही उसके स्वरूप को निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी। विज्ञापन के माध्यम से ही औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धि की संभावना बड़ती है, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में योगदान मिलता है।

विज्ञापन में सौंदर्य, कला और नयापन का प्रचलन भी अब देखा जा रहा है। यह सब उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए और उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक हो गया है। आज विज्ञापन सामाजिक संस्था का भी कार्य कर रहा है और जन साधारण को समाज के प्रति सचेत करने का कार्य भी कर रहा है। अर्थात् समाज के प्रति अपनी जबाबदारी निर्वाह करना भी विज्ञापन द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि विज्ञापन का कर्म ही सूचना देना है लेकिन तीक्ष्ण से तीक्ष्ण सूचना भी विज्ञापन के माध्यम से मधुर और आसान बन जाती है क्योंकि संचार जितना प्रभावी होगा उतनी ही अर्थमय और आत्मसात होने में सुलभ होगा। विज्ञापन को हम समझाने और मनाने की प्रक्रिया भी कह सकते है, जो निरंतर चलती रहती है। क्योंकि विज्ञापन में समझाने मनाने की ताकत नहीं होती तो विज्ञापन किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाते। विज्ञापन का कार्य ही ग्राहकों का पीछा करना होता है वे अपनी वस्तु के बारे में बताना बखूबी जानते है, उनका दृष्टिकोण और धारणा इतनी निराली होती है कि विज्ञापन कर्ता का तर्क बदल सकते है क्योंकि विज्ञापन का एक ही उद्देश्य होता है उपभोक्ता की अधिक से अधिक माँग सृजित कर उत्पादन कर्ता अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके।

५.३.४ विज्ञापन की विशेषताएँ :

आज समाज का हर एक व्यक्ति विज्ञापन की महत्ता से परिचित है। विज्ञापन अपनी आकर्षण की क्षमता के कारण ही आज सार्वभौम है। विज्ञापन की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है।

१) संदेश पहुँचाने की अवैयक्तिक प्रस्तुति :

विज्ञापन में ग्राहकों से आमने सामने का संबंध कम ही आता है या नहीं के बराबर लेकिन अपनी शैली के कारण ग्राहकों को अपनी और शीघ्र ही आकर्षित करने की ताकत विज्ञापन में है वही विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से सन्देश प्रस्तुत करने का साधन है जिसकी और ग्राहक लक्षित हो जाता है।

२) विज्ञापन एक व्यापक संदेश :

विज्ञापन संदेश पहुँचाने का व्यापक माध्यम है। जिसके द्वारा संदेश को बार-बार दोहराया जा सकता है। जब तक कार्य में सफलता न मिले तब तक विज्ञापन अपना कार्य सिद्ध होने तक दुहराये जा सकते है।

३) एक ही संदेश में विभिन्नता :

विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार से जनता तक पहुँचा सकते है जैसे उसके रंग, चित्र, शब्दों और वाक्यों में परिवर्तन करके उसे हर बार नये से सुसज्जित कर ग्राहको तक संदेश पहुँचाया जा सकता है।

४) विज्ञापन भुगतान किया हुआ स्वरूप :

निर्माता विभिन्न संचार माध्यमों को निर्धारित समय व स्थान के लिए भुगतान करता है जैसे समाचार पत्र, होर्डिंग, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन आदि जो भी माध्यम निर्माता अपने विज्ञापन दिखाने के लिए चुनता है उसे इन संचार माध्यमों का निर्धारित राशि भुगतान पहले देना होता है।

५) विज्ञापन के स्वरूप :

विज्ञापन अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ग्राहकों का मन लुभा सकता है। यह चयन निर्माता अपनी उत्पादित वस्तु के आधार पर करता है। विज्ञापन मौखिक, लिखित, दृश्य या अदृश्य आदि प्रकार के हो सकते है।

६) उत्पादन तत्व को प्रोत्साहन :

विज्ञापन से उत्पादन क्रिया के साथ साथ सेवा व विचार आदि तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि प्रत्येक विज्ञापन किसी न किसी सन्देश को लेकर आगे बढ़ता है। यह लोगों को उत्पाद की जानकारी देता है उन्हे आवश्यकता का अहसास दिलाता है और खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

७) विज्ञापन का उद्देश्य नये ग्राहक जोड़ना :

विज्ञापन का उद्देश्य नये ग्राहकों को आकर्षित करना और विद्यमान ग्राहक को बनाये रखना है।

८) माध्यम की आवश्यक :

विज्ञापन का प्रमुख आधार आज के समय में संचार माध्यम है इसके द्वारा ही विज्ञापन अधिकांश दिखाये जाते है। निर्माता यदि चाहे तो एक ही विज्ञापन कई माध्यमों से प्रस्तुत कर सकता है जैसे लाइफबॉय साबुन का विज्ञापन हम टेलिविजन पर देख सकते है। यही विज्ञापन रेडियो पर सुन सकते है और किसी फलक पर पढ़ भी सकते है। निर्माता माध्यम के अनुरूप विज्ञापन के रंग चित्र शब्द वाक्यों में परिवर्तन कर देता है।

९) विज्ञापन एक व्यावसायिक माध्यम :

आधुनिक युग में विज्ञापन व्यवसाय बढ़ाने का प्रमुख तत्त्व समझा जाता है। यह एक व्यावसायिक क्रिया है जिसे प्रत्येक व्यवसाय में किसी न किसी रुप में नित्य करना पढ़ता है। ताकि व्यवसाय में वृद्धि हो सके।

१०) विक्रय कर्ता की सहायता करना :

अधिकांश विज्ञापन अपने उत्पाद की जानकारी विस्तार से देते है। उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को सही-सही ग्राहकों के सामने उजागर करते है। इसीलिए एक सैल्समैन उस उत्पाद को जल्दी बेच पाता है उसे ग्राहक को मनाने या अधिक समझाने की आवश्यकता नही होती.

५.३.५ विज्ञापन और भाषा :

विज्ञापन का आधार भाषा है, भाषा जितनी दिलचस्प होगी विज्ञापन उतना ही सुंदर और आकर्षण बनेगा। भाषा को लचीला पन उसकी गतिशीलता विज्ञापन की शोभा बढ़ाते है। कभी-कभी मुहावरों और कहावतों के माध्यम से भी विज्ञापन प्रसिद्ध हो जाते है तो कभी कविताओं की पक्तियाँ, शब्दों की बनावट और अर्थ व्यंजनाएँ भी विज्ञापन में चार चाँद लगाकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कुछ विज्ञापन तो गाने की तरह हम कभी भी गुन-गुनाने लगते है।

विज्ञापन में भाषा के अर्थ, संप्रेषण और प्रतीक चिन्हों पर अधिक भर दिया जाता है। विज्ञापन में शब्द रचनावली का आकार बहुत छोटा होता है। इसीलिए अधिकांश प्रतीकों द्वारा

इसे अभिव्यक्त किया जाता है। विज्ञापन कि भाषा के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वान जूडिय विलियमसन ने अपने लेख 'मीनिंग एंड आयडियोलॉजी' में इस प्रकार लिखा है - 'विज्ञापन की भाषा अर्थ का एक नया स्तर निर्मित करती है जो स्थापित अर्थ से भिन्न होता है। वह उत्पाद की विशेषताओं को इस तरह शब्दों में बाँधती है कि हमारे लिए उनके कुछ खास मायने हो जाते है।'

इस कथन के आधार पर विज्ञापन केवल वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित नहीं है। वह हमारे मन को आकाक्षांओं और आनंदित भी करता है। कुछ विज्ञापन इतने प्रसिद्ध है कि वे उत्पाद वस्तु के पर्याय बन गये है जैसे निरमा वांशिग पावडर आज भी कई जगहों पर वांशिग पाउडर को निरमा कहा जाता है। इस प्रकार अपनी शब्द कौशल्यता और अर्थ संप्रेषणियता की चतुराई से एक साधारण उत्पाद को भी ब्रांड में बदलने की ताकत रखता है।

वही खेल की दुनिया में भी दर्शकों की टी.आर.पी. बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करके दूरचित्र वाहिनी पर प्रदर्शित किये जाते है इनमें टी - २० और क्रिकेट वर्ल्ड कप के विज्ञापन प्रमुख है। विज्ञापन के विषय और वस्तु, गुण के आधार पर भाषा का चयन होता है। आज की वर्तमान स्थिति में विज्ञापनों ने पारंपरिकता को त्याग कर आधुनिकता को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए विज्ञापन शब्दों और पंक्तियों के माध्यम से जो अर्थ हम तक पहुँचाते है वह आज के समय से आज की प्रचलित भाषा से जुड़े होते है इसीलिए हम उसके प्रभाव में प्रवाहित हो जाते है। आज के समय में विज्ञापन उत्पाद बेचने का माध्यम बनकर ही नहीं रह गया वरन् उपभोक्ता से बड़ी आत्मीयता से जुड़ना चाहता है इसीलिए विज्ञापन की भाषा सामाजिक-संदर्भ और संस्कृति के अधिक निकट होना अनिवार्य है।

विज्ञापन ही नहीं संपूर्ण संचार माध्यम अपनी भाषा शैली के बल पर ही प्रगति कर सकता है। यह स्पष्ट हो गया है संचार की भाषा के संबंध में प्रो. सुधीर पचौरी ने इस प्रकार अपने विचार प्रस्तुत किये है - "मिडिया का काम मूलतः भाषा के प्रतीको चिन्हो को विनिमित करना होता है। माध्यम के रूप के अनुसार यह विनिमय अपनी गति पकड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल होते हुए प्रतीक / भाषा के चिन्ह अपने संदर्भो को अस्थिर करते चलते है।"

एक ब्रांड के विज्ञापन में माध्यम की अभिव्यंजना का भी संयोजित स्थान है। एक ही बात को निपुण भाषा शैली के माध्यम से एक से अधिक अर्थ में और कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अमूल दूध का विज्ञापन सुरुवाती के दौर में ग्रामीण अंचल का वर्णन करते हुए आंचलिक भाषा के गीत द्वारा प्रसारित हुआ था - 'मेरो गाँव ता था पारीजा दूध की नदिया वाहिजा कोयल टो को गाये म्हारे घर अँगना ना भूलोना।' इस प्रकार उस दौर में अपनी भाषा शैली के कारण ही यह विज्ञापन बहुत प्रसिद्ध हुआ वहीं आज आधुनिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इस विज्ञापन का और भाषा का स्वरूप भी आधुनिक हो गया है जैसे

१) अमूल दूध पीता है इंडिया - आगे बढ़ता है इंडिया
२) Amul - The Taste of India
3) Amul Dudh अमूल दूध है वन्डरफुल आदि। इस प्रकार विज्ञापन की भाषा भी समयानुरूप परिवर्तन करती है लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे नही हटती।

विज्ञापन अवसर के अनुसार चलते है जो कई संभावनाओं का खतरा भी पैदा कर देते है। कई बार नये पन के चक्कर में भाषा और अर्थ से भी खिलवाड हो जाने की पूर्ण संभावना रहती है। कई ऐसे लयात्मक या क्रियात्मक शब्द आ जाते है जो अपने मूल अर्थ को खो बैठे है और शब्दों का ही बोल-बाला बचा रह जाता है। इन सभी बातों से भाषा की अस्मिता को ठेस पहुँचती है और भाषा का मनमाना प्रयोग उसकी संवेदनशीलता को खत्म कर देते है। इस प्रकार के प्रयोगों से भाषा विज्ञ, साहित्यकार और समाजशास्त्रीयों ने इसे गहरी चिंता का विषय माना है।

उदाहरण के लिए कोका-कोला कंपनी का विज्ञापन जिसमें कहा गया है 'ठंडा मतलब कोका-कोला' इस प्रकार की भाषा से तानाशाही भाव ही व्यक्त होता है जो साफ्टड्रिंक की सभी कंपनीयों और ठंडी वस्तुओं पर सिर्फ अपना हक जमाना चाहता है। दूसरा एक विज्ञापन 'खेतान पंखा बस नाम ही काफी है।' पंखे का विज्ञापन और सिर्फ नाम लेने से ही उपभोक्ता को हवा मिल सकती है तो पंखे की क्या जरूरत है। इस प्रकार के संवाद सिर्फ स्लोगन और नयापन देने की दृष्टि से ही विज्ञापन को स्वरूप देते है। अर्थ और गुणवत्ता की दृष्टि से यह भाषा को क्षीण कर देते है।

आज के जागरूक समाज में विज्ञापन और उत्पादको को भी कुछ नियमों को कड़े तौर पर निभाना पड़ रहा है। गोरे होने की चस्क में कई लड़कियों ने विज्ञापन देखकर फेयर एँड लवली क्रीम लगाई और इस कंपनी को एक समय देश की सबसे बड़ी क्रीम की कंपनी बना दिया लेकिन आज के तकनीकि युग में कुछ विज्ञान संस्थाओं ने जब यह सिद्ध कर दिया कि इस क्रीम से काले धब्बे नहीं मिट सकते तो कंपनी को फेयर शब्द निकालने की नोबत आज आ गई है। इस प्रकार आज विज्ञापनों में भाषायी प्रयोग या चित्रात्तमक प्रयोग सोच-समझकर किये जाने कि सूझ बूझ बड़ गई है। कई विज्ञापनों में हम देख सकते है कि तर्क या सोच के ऊपर उठ कर या कोई भयानक सीन या अचरज दिखाते समय नीचे शुद्ध भाषा में लिखा होता है कि यह कोई न आजमायें यह सिर्फ नाट्य है हकीकत नहीं। इस प्रकार की दक्षता भी आज विज्ञापन के आगे कड़ी चुनौती बन गई है इसे सुघड़ बनाने का माध्यम भाषा है।

इस प्रकार प्रस्तुत विवरण में साहित्य और विज्ञापन दोनो ही अर्थ विस्तारित है कई तरह की व्यंजनाओं से समाहित है लेकिन दोनो के उद्देश्य पूर्ति का मार्ग भिन्न है विज्ञापन अपने विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों से बँधा हुआ है। अपने निर्धारित आशय द्वारा उपभोक्ता को संप्रेषित करना विज्ञापन का कार्य है और यहाँ भाषा मात्र उपयोग का माध्यम है लक्ष्य पूर्ति नहीं लेकिन निश्चित लक्ष्य पाने के लिए भाषा का सर्वोत्तम प्रयोग आवश्यक है इसके बिना विज्ञापन का सफर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।

इस प्रकार विज्ञापन में भाषा का विशिष्ट रूप होता है जो साहित्यिक भाषा से भिन्न होते हुए भी अनेकार्थी, लयात्मक, लचीलेपण और अनेक मुहावरों की निर्मिति करते हुए विज्ञापन को उच्चस्तरीय बनाता है और भाषा में नव-नवीनताओं को संयोजित कर उच्च माध्यम रूप सुशोभित करता है।

५.४ सारांश

इस इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी विज्ञापन का अर्थ व विभिन्न विद्वानों ने विज्ञापन को किस प्रकार परिभाषित किया है यह समझे साथ ही विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन की विशेषताएँ और विज्ञापन की भाषा के विषय में संपूर्ण अध्ययन कर सके। इस प्रकार विज्ञापन के विषय में प्रदीर्घ ज्ञान से परिचित होना ही इस अध्याय का ध्येय है।

५.५ बोध प्रश्न

१. विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करते हुए स्वरूप का विवरण कीजिए।
२. विज्ञापन का अर्थ समझाते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
३. विज्ञापन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए विज्ञापन की भाषा को वर्णित कीजिए।

५.६ लघुत्तरीय प्रश्न

१) विज्ञापन को अँग्रेजी में क्या कहते है ?
उत्तर - Advertising

२) 'मुद्रित, लिखित, मौद्रिक अथवा रेखा चित्रित विक्रय कला विज्ञापन है' यह परिभाषा किस विद्वान की है ?
उत्तर - फ्रेंक प्रेस्बी

३) उत्पादकों को उत्पादक उपभोक्ता तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम क्या है ?
उत्तर - विज्ञापन

४) संदेश पहुँचाने की अवैयक्तिक प्रस्तुति है ?
उत्तर - विज्ञापन

५.७ सहायक ग्रंथ

❖❖❖❖

६

पारिभाषिक शब्दावली

- बालाजी गायकवाड

ईकाई की रूपरेखा :

६.१ इकाई का उद्देश्य

६.२ प्रस्तावना

६.३ विषय विवेचन

  ६.३.१ पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप

  ६.३.२ पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषाएं

  ६.३.३ पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताए

  ६.३.४ पारिभाषिक शब्दावली

६.४ सारांश

६.५ अभ्यास प्रश्न

६.६ सहायक ग्रंथ

६.१ इकाई का उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

क) पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा का परिचित करा लेंगे।

ख) पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप से अवगत हो जाएंगे।

ग) पारिभाषिक शब्दावली के महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे।

घ) पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा से परिचित हो जाएंगे।

ड) पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप जान सकेंगे।

६.२ प्रस्तावना

हिंदी भाषा के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकताएँ और अधिक बढ़ चुकी है। स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही प्रदेशों की राजभाषा तथा कुछ प्रदेशों में सह राजभाषा का पद हिंदी को प्राप्त हुआ। जिम्मेदारी को निभाने के लिए हिंदी भाषा का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक था। संवैधानिक कार्य, सांस्कृतिक-साहित्यिक चेतना, ज्ञान-विज्ञान, विधि आदि की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को हिंदी में अभिव्यक्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दों में समृद्धता लाना जरूरी बन गया था। प्रारंभिक समय में हिंदी को अंग्रेजी की ही सहायता पर निर्भर रहना पड़ा है। आजादी के सत्तर वर्षों में हिंदी ने अपने आप को निरंतर विकसित एवं समृद्ध किया है। अलग-अलग भाषाओं के

शब्दों को ग्रहण करते हुए हिंदी अपना शब्द भंडार बढ़ाती जा रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिव्यक्ति की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने अपना उचित स्थान बना लिया है।

पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा, महत्व, विशेषताएँ आदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर निम्नलिखित रूप में प्रकाश डाला गया है।

६.३ विषय विवेचन

शब्द दो प्रकार के होते हैं एक सामान्य शब्द जो समाज में सामान्य व्यवहार विषयक बातों की अभिव्यक्ति के लिए इनका प्रयोग होता है। कोई व्यक्ति भाषा सीखता है तो पहले इन्हीं शब्दों को सीखता है। इन सामान्य शब्दों का प्रयोग हम सामाजिक रूप में करते हैं।

दूसरे पारिभाषिक शब्द होते हैं, जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होते हुए ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न जैसे - रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पतिविज्ञान, प्राणी विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अलंकारशास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आदि क्षेत्रों के शब्द जिसकी अर्थ सीमा निश्चित रहती है उन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता हैं। तकनीकी, शास्त्र, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति के साथ नए-नए शब्दों का विस्तार हो रहा है। आने वाले नवीनतम शब्दों की विद्वानों द्वारा पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाती है।

६.३.१ पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप :

पारिभाषिक शब्दावली "ग्लासरी" (glossary) का प्रतिशब्द है। "ग्लासरी" मूलतः "ग्लॉस" शब्द से बना है। "ग्लॉस" ग्रीक भाषा का glossa है। जिसका प्रारंभिक अर्थ "वाणी" था। बाद में यह शब्द "भाषा" या "बोली" का वाचक हो गया। आगे चलकर इसमें और भी अर्थपरिवर्तन हुए और इसका प्रयोग (पारिभाषिक, सामान्य, क्षेत्रीय, प्राचीन, अप्रचलित आदि) के लिए होने लगा। ऐसे शब्दों के संग्रह को ही पारिभाषिक शब्दावली या 'ग्लासरी' कहा गया है।

पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के 'टेक्निकल' शब्द का हिंदी पर्याय है। अंग्रेजी का 'टेक्निकल' शब्द ग्रीक भाषा के 'टेक्निकोई' (कला या कला विषयक) शब्द से अपनाया गया है। 'टेक्नो' का तात्पर्य है 'कला तथा शिल्प'। लैटिन भाषा में 'एक्सरे' शब्द 'बुनना' या 'बनाना' के अर्थ में प्रचलित है। इस तरह ग्रीक तथा लैटिन शब्दों से मिले-जुले रूप से बने अंग्रेजी 'टेक्निकल' शब्द का अर्थ है - वह शब्द जो किसी निर्मित या खोजी गई वस्तु या विचार को व्यक्त करता है। 'टेक्निकल' का अर्थ विशिष्ट कला विज्ञान तथा शिल्प अथवा विशिष्ट कला है।

आज हिंदी केवल साहित्य की ही भाषा नहीं है, बल्कि कार्यालय एवं जनसंपर्क की भाषा भी हैं। अलग-अलग संदर्भों में तथा प्रसंगों में हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप भिन्न-भिन्न है। हिंदी का व्यवहारिक रूप भी विकसित हो चुका है। परिणाम स्वरूप हिंदी विश्व की भाषाओं में सम्मानित स्थान प्राप्त कर चुकी है। आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है।

इसीलिए हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का निरंतर विकास हो रहा है। महावीराचार्य ने गणितसार संग्रहः के 'संज्ञाधिकारः' नामक प्रथम अध्याय में कहा है -

न शक्यतेऽर्थोबोद्धुं यत्सर्वस्मिन् संज्ञया विना।
आदावतोऽस्य शास्त्रस्य परिभाषाभिध्यास्यते।।

विना संज्ञा (नाम या शब्दावली) के किसी भी विषय का अर्थ समझाना सम्भव नही है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं का ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध होने के लिए उस भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण जरूरी है।

शब्दावली मुख्य रूप में दो प्रकार की होती हैं। एक सामान्य शब्दावली और दूसरी पारिभाषिक शब्दावली। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रघुवीर बड़े ही सरल शब्दों में पारिभाषिक और साधारण शब्दों का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहते हैं - 'पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती, वे साधारण शब्द होते हैं।'

विद्वानों के अनुसार जिस भाषा में जितने अधिक पारिभाषिक शब्दों की रचना होगी वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। किसी भी भाषा में समुचित पारिभाषिक शब्दावली का होना उस भाषा के बोलने वाले वर्ग के बौद्धिक उत्कर्ष तथा संपन्नता का प्रतीक होता है। पारिभाषिक शब्दावली का न होना बौद्धिक दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। भाषा को समृद्धी के लिए समर्थ राष्ट्र की भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण निरंतर होना आवश्यक है।

६.३.२ पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषाएं :

विभिन्न भाषा विद्वानों द्वारा पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा की गई है। पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई है।

१) रेंडम हाउस के अनुसार :

"विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द, पारिभाषिक शब्द बतलाते हैं।"

(A World of phrase used in definite precise sense in some particular subject as a science or art a technical compression.)

२) डॉ. रघुवीर के अनुसार :

"जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती, वे साधारण शब्द होते हैं।"

३) डॉ. गोपाल शर्मा के अनुसार:

"पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो।"

४) डॉ. सूरजभान सिंह के अनुसार :

"पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंगार्थ में नहीं।"

५) चैंबर्स टेक्निकल डिक्शनरी के अनुसार :

"पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विशेषज्ञों एवं तकनीक विदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूल तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक है।"

६) डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार :

"पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं, जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप में परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही यह शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं।"

७) विनोद गोदरे के अनुसार :

"किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। यह शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही ध्वनित करता हैरी इसके अलावा उक्त संदर्भ में उसके लिए न तो किसी प्रकार के अर्थ वेद की गुंजाइश होती है और न किसी प्रकार के अनिश्चय का ही वह वाहक होता है। वह तो बस मीन की आंख के लक्ष्य का वेधी तथा साधक होता है।"

८) डॉ. शशि शर्मा के अनुसार :

"पारिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है किसी ज्ञान-विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान-विज्ञान के पारिभाषिक अनुशासन के अनुकूल निर्धारित व सटीक होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है।"

९) प्रो. माधव सोनटक्के जी के अनुसार :

"कला तथा शास्त्र के विवेचन विश्लेषण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य होता है। यह विशेष शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली कहीं जाती है।"

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 'जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होते हुए ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। या यह भी कहा जा सकता है कि, वर्तमान सामाजिक जीवन तथा तकनीकी एवं विभिन्न शास्त्र में आने वाले नए-नए शब्दों को विद्वानों द्वारा स्थापित शब्दावली ही पारिभाषिक शब्दावली है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर पारिभाषिक शब्द के निम्नलिखित लक्षण इस प्रकार है।

१) पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में होता है।

२) उनका अर्थ सुनिश्चित तथा परिभाषित होता है।

३) उनके अर्थ में लचीलापन या विकल्प नहीं होता।

४) पारिभाषिक शब्द अभिदार्थ में ग्रहण किए जाते हैं।

५) हर ज्ञान शाखा या विषय के अनुरूप उसका एक परिभाषित अर्थ होता है। जैसे ध्वनि शब्द के भौतिकी तथा भाषा विज्ञान में अलग-अलग पारिभाषिक अर्थ होते हैं।

६) दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, रसायन, भौतिकी, यांत्रिकी आदि वैज्ञानिक या शास्त्रीय विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्द अपने साथ एक निश्चित परिभाषा लिए हुए होते हैं, और उनका उससे भिन्न रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

७) इनके निर्माण में ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण की प्रक्रिया होती है।

६.३.३ पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताए :

सामान्य भाषा शब्दों की अपेक्षा पारिभाषिक शब्दों की प्रकृति तथा उनका उद्देश्य अलग होता है। इसलिए उनकी अपने अलग सी विशेषता होती है। यद्यपि हर ज्ञान शाखा तथा हर विषय की अपनी अपनी विशेष पारिभाषिक शब्दावली होती है। परंतु इन सभी की प्रकृतिक विशेषताएं समान होती हैं। प्रो. अगस्टीनो सेवोरिन, डॉ. भोलानाथ तिवारी, डॉ. सत्यव्रत, प्रो. माधव सोनटक्के आदि विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दों की सामान्य विशेषताओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप तथा प्रयोजन, प्रयोग आदि को मध्य नजर रखते हुए उसकी सामान्य विशेषताएं इस प्रकार कही जा सकती है।

१) कृत्रिम शब्दावली :

भाषा की सामान्य शब्दावली के समान पारिभाषिक शब्दावली का उद्भव और विकास समाज में ही स्वयं नहीं होता, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली कृत्रिम होती है। ग्रहण, अनुकूलन, संचयन और निर्माण इन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सामान्य शब्दों का जनक निर्धारक समाज होता है, परंतु इस शब्दावली का निर्धारण भाषा विशेषज्ञ करते हैं, जो शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ विशेष प्रकार के तकनीकी ज्ञान के भी विशेषज्ञ होते हैं जो शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ विशेष प्रकार के तकनीकी ज्ञान के भी साह्य होते हैं। साथ ही इनके निर्माण में उन लोगों का भी योगदान होता है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य करते हैं। कृत्रिम शब्द होने के कारण इनमें वह लचीलापन नहीं होता जो सामान्य शब्दों में होता है। इनका निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है।

२) नियतार्थता :

पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होता है। उसमें ना तो अति व्यप्ति दोष होता है न अव्याप्ति का। पारिभाषिक शब्द अपने अर्थ-परिधि से अधिक अर्थ व्यक्त करता है, न कम। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में यह असह्य होता है कि दो शब्दों की अर्थ सीमाएं एक दूसरे से टकराए या एक दूसरे के अर्थवृतों को काटें। वैज्ञानिक भाषा में जिस परिशुद्धता की अपेक्षा होती है, उसमें द्वयार्थकता या संदिग्धार्थता के लिए कोई अवकाश नहीं होता। सामान्य भाषा के जिन शब्दों को ऊपर उठाकर पारिभाषिक शब्दों के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, उनमें भी प्रयोग के द्वारा क्रमशः (अर्थगत) शिथिलता का लोप हो जाता है।

३) एक संकल्पना एक शब्द :

पारिभाषिक शब्द किसी न किसी ज्ञान शाखा से संबंधित होते हैं। संबंधित विज्ञान या शास्त्र की एक संकल्पना के लिए एक शब्द का ही प्रयोग होता है। जिस तरह पारिभाषिक शब्द को एक निश्चित नियत अर्थ होता है, उसी तरह एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द नियत होता है। एक विशिष्ट अर्थ, संज्ञा, संकल्पना के लिए एक से अधिक शब्द नहीं होते। बहुअर्थता के साथ-साथ शाब्दिक पर्याय का भी पारिभाषिक शब्दावली में कोई स्थान नहीं। इसके निर्धारण प्रक्रिया की 'संचयन प्रक्रिया' में किसी विशिष्ट वस्तु, भाव, क्रिया को व्यक्त करने वाले शब्द को अपनाकर मात्र उसका ही संचयन किया जाता है। उदाहरण के लिए भाषा-विज्ञान में भाषा, बोली, वाक् आदि शब्द विशिष्ट संकल्पना के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि मोटे तौर पर बोलचाल में उनका प्रयोग एक दूसरे के पर्याय में भी होता है।

४) विशेष क्षेत्र में प्रयोग :

पारिभाषिक शब्द का प्रयोग विशेष क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग दैनिक व्यवहार में न होकर विशिष्ट शास्त्र विज्ञान तथा व्यवहार में होता है। अलग-अलग ज्ञान शाखाओं की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है। अनुमान किया जाता है कि आधुनिक ज्ञान लगभग ६०० शाखाओं में विभक्त है। इन सभी शाखाओं में प्रयुक्त शब्दों की संख्या बीस लाख मानी जाती है। इन शाखाओं की परिधि दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है उसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली की परिधि भी बढ़ रही है।

५) संक्षिप्तता एवं सरलता :

पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होना चाहिए ताकि प्रयोक्ता को हिचक अथवा असुविधा न हो। ऐसे शब्द प्रायः एक शब्द के या मूल शब्द के होते हैं, एक से अधिक शब्द के नहीं। एक से अधिक शब्द से बना पारिभाषिक शब्द भाषा की प्रकृति के अनुकूल संधि-समास युक्त होता है। जैसे पुनःस्मरण (Recall), उद्जन (Hydrogen), देशांतरगमन (Migration) आदि। यहां संक्षिप्तता और सरलता से तात्पर्य जनसामान्य की दृष्टि से मात्र उच्चारण सौकर्य नहीं है। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग दैनिक कार्य में नहीं बल्कि शास्त्र-विज्ञान-दर्शन-विचार आदि के विश्लेषण-विवेचन के लिए प्रयुक्त होता है। अतः इसका निर्धारण-निर्माण जनसामान्य के उच्चारण सौकर्य को ध्यान में रखकर होना आवश्यक भी नहीं। पारिभाषिक शब्दावली न तो सबके लिए है, ना बहुत संख्य के लिए ही बल्कि उन गिने-चुने व्यक्तियों के लिए है जो ज्ञान की किसी एक शाखा में विशेषता या प्रवीणता प्राप्त करने के इच्छुक है। संक्षिप्तता और सरलता के संदर्भ में इन विशेष अध्ययताओं को मद्देनजर रखते हुए सोचना चाहिए। शब्दों की रचना संक्षिप्त हो तो बार-बार प्रयुक्त होने में असुविधा का अनुभव नहीं होता। वैसे भी हर नया शब्द आरंभ में उच्चारण तथा प्रयोग में सहज नहीं लगता, अपितु, पुनः पुनः प्रयुक्त होने पर सहज लगने लगता है। इस संबंध में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने लिखा है - "हमें भूलना न चाहिए कि जो शब्दावली तैयार की जा रही है, वह इस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है।"

६) उर्वरता या जनन-शक्ति :

पारिभाषिक शब्द में उर्वरता तथा जनन-शक्ति का होना आवश्यक होता है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय शब्द आदि जोड़कर उससे शब्द संबध्द शब्द सरलता से बनाया जा सके। जैसे 'अंकन' (Marking) मूल पारिभाषिक शब्द से परांकन

(Endorsement), पृष्ठांकन, रेखांकन (Underline), सीमांकन (Demarcation) जैसे पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं। विदेशी पारिभाषिक शब्द में उर्वरता नहीं होती।

७) शब्दों में एकरूपता :

एक ही श्रेणी या विषय के पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता होती है। जैसे ओसजन (Oxygen) नत्रजन (Nitrogen) उद्जन (Hydrogen) आदि। स्वनिम, रूपिम, अर्थिम, लेखिम, आदि। ऐसा न होने से उनमें सहज रूप से सरलता और बोधगम्यता भी आ जाती है।

८) भाषा की प्रकृति के अनुरूप स्वरूप :

यदि स्त्रोत भाषा में पारिभाषिक शब्द एक शब्दीय है, तो लक्ष्य भाषा में निर्मित शब्द भी यथासंभव एक शब्द ही है द्विशब्दीय या व्याख्यात्मक नहीं। दूसरे शब्द में असमस्त शब्द का अनुवाद यथासंभव असमस्त शब्द में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए Executive कार्यपालिका शब्द ठीक है। Curo के लिए कलाकृति शब्द उचित है, कौस्तुब की वस्तु नहीं। पारिभाषिक शब्द अगर किसी अन्य भाषा का ग्रहण किया गया है, तो उसे अनुकूल प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल किया जाता है। जैसे अंग्रेजी का एकेडमी-अकादमी बन जाता है।

९) अन्य :

पारिभाषिक शब्दों की इन प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रो. सोनटक्के जी ने अन्य विशेषताओं की ओर भी संकेत किया है।

१. असमान संकल्पनाओं के लिए मिलते-जुलते शब्द नहीं होने चाहिए। अन्यथा भ्रम की आशंका रहती है।
२. संबद्ध संकल्पनाओं और वस्तुओं के लिए संबंध स्वतंत्र शब्द होना चाहिए। इसीलिए हिंदी में 'ताप' और 'तापमापी' रखना अच्छा है। 'ताप' थर्मामीटर नहीं।
३. हर शब्द को दूसरे से इतना अलग होना चाहिए कि उसे सुनकर या पढ़कर किसी और पारिभाषिक शब्द का भ्रम हो।
४. यदि पारिभाषिक शब्द एकाधिक भाषाओं के लिए हो तो सभी भाषा-भाषियों के लिए उच्चारण की दृष्टि से उसे सरल तथा आर्थिक दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए।

६.३.४ पारिभाषिक शब्दावली :

वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। सरकारी विभाग के कामकाज के लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कुछ शब्दों की प्रामाणिक मान्यता प्रदान की गई है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कार्यालयों, वित्तीय, वाणिज्यिक, पत्राचार, जनसंचार आदि क्षेत्र में हो रहा है। निम्नलिखित रूप में पारिभाषिक शब्दावली दी जा रही है।

पारिभाषिक शब्दावली :

Ability	योग्यता
Ballot	मतपत्र
Basic	बुनियादी
Claim	दावा
Circular	परिपत्र
Consent	सहमति
Deduction	कटौति
Defecto	वस्तुतः
Deliberation	विचार विमर्श
Dispatch	प्रेषण
Enclosure	अनुलग्नक
Estimate	अनुमान
Experiment	प्रयोग
Founder	संस्थांपक
Graduate	स्नातक
Grant	अनुदान
Honorarium	मानदेय
Identity card	परिचय पत्र
Enitials	अद्यक्षर
Junior	कनिष्ठ
Loboratory	प्रयोगशाला
Live	छुट्टी
Margin	हाशिया
Maximum	अधिकतम
Memorandum	ज्ञापन
Modus operandi	कार्यप्रणाली
Notice	सूचना
Notification	अधिसूचना
Oath	शपथ

Parliament	संसद
Priority	प्राथमिकता
Projec	परियोजना
Preceding	कार्यवाही
Questionary	प्रश्नावली
Rate	दर
Reaction	प्रतिक्रिया
Record	अभिलेख
Style	शैली
Tax	कर
Temporary	
Tenure	
Urgent	अस्थाई
Utilisation	अवधि
Evaluation	अत्यावश्यक
Verification	उपभोग
Wage	मूल्यांकन
Waiting list	सत्यापन
Will	मजदूरी
Wholesale	प्रतिक्षा सूची
Zonal office	वसीयत
	थोक व्यापार
	आंचलिक कार्यालय

६.४ सारांश

- पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होती है। अनुवाद एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
- पारिभाषिक शब्दावली को भाषाविद्, विशेषज्ञों, तकनकीशियनों द्वारा सिद्धांतों के आधार पर आविष्कृत किया जाता है।

- पारिभाषिक शब्दावली अल्प अक्षर होती है। इसमें एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका सुनिश्चित अर्थ होता है।

६.५ अभ्यास प्रश्न

१. पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा देकर उसका सामान्य परिचय दीजिए।
२. पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप एवं महत्व को रेखांकित कीजिए।
३. पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

६.६ सहायक ग्रंथ

१. प्रयोजनमूलक हिंदी - डॉ. विजय पाल सिंह
२. प्रयोजनमूलक हिंदी - डॉ. माधव पंडित के
३. अनुवाद विज्ञान - भोलानाथ तिवारी

❖❖❖❖